निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

सेवा में,

प्रिय शेयरधारको,

आपके निदेशकों को आपकी कंपनी के 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ–साथ तैंतीसवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. कार्य-निष्पादन की मुख्य विशेषताएं

1.1 कार्य-निष्पादन का सारांश

पिछले वर्ष के कार्य–निष्पादन की तुलनात्मक स्थिति के साथ वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए आपकी कंपनी के कार्य–निष्पादन की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार थीं:

(₹करोड़ में)

मानदण्ड	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
संस्वीकृत ऋण	**54,421.76**	1,54,820.87
संवितरण	**64,150.21**	92,987.49
सरकार की डीडीयूजीजेवाई (डीडीजी घटक सहित) और सौभाग्य योजनाओं के तहत सब्सिडी	**5,317.66**	4,940.62
वसूली (ब्याज सहित)	**91,681.72**	71,755.40
कुल प्रचालन आय	**39,132.49**	35,387.89
कर पूर्व लाभ	**12,424.90**	10,756.13
कर पश्चात लाभ	**10,045.92**	8,361.78
कुल व्यापक आय	**9,986.85**	8,818.30

1.2 वित्तीय कार्य-निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए आपकी कंपनी की कुल परिचालन आय पिछले वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान ₹35,387.89 करोड़ की तुलना में ₹39,132.49 करोड़ थी।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कर पश्चात लाभ और कुल व्यापक आय पिछले वित्तीय वर्ष के ₹8,361.78 करोड़ और ₹8,818.30 करोड़ की तुलना में क्रमशः ₹10,045.92 करोड़ और ₹9,986.85 करोड़ थी।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर आय (ईपीएस) पिछले वर्ष के ₹42.34 प्रति शेयर के ईपीएस की तुलना में ₹10/– प्रति शेयर पर ₹50.87 थी। 31 मार्च, 2022 तक कंपनी का निवल मूल्य बढ़कर ₹50,985.60 करोड़ हो गया, अर्थात यह 31 मार्च, 2021 को ₹43,426.37 करोड़ के निवल मूल्य से 17.41% अधिक था।

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी की सकल ऋण परिसंपत्ति बही 31 मार्च, 2021 की ₹3,77,418.15 करोड़ की तुलना में ₹3,85,371.26 करोड़ थी। इसके अलावा, 31 मार्च, 2022 तक बकाया उधारियां ₹3,26,844.29 करोड़ थीं।

1.3 कोविड-19 का प्रभाव

कोविड–19 के प्रकोप के बाद से, भारत ने उत्परिवर्ती कोरोना वायरस वेरिएंट की पहचान किए जाने के बाद से महामारी की दो और लहरों का अनुभव किया है। इन लहरों के कारण स्थानीय/क्षेत्रीय लॉकडाउन अस्थायी रूप से फिर से लागू हो गए, जिन्हें बाद में हटा लिया गया। टीकाकरण कार्यक्रम की व्याप्ति में सुधार और आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के साथ, भारत में मांग में सुधार की स्थिति दिखाई दे रही है। कंपनी का सुदृढ़ क्रेडिट प्रोफाइल, तरलता अधिगम और आकस्मिक बफर की उपलब्धता से यह विश्वास करने का कोई कारण मौजूद नहीं है कि मौजूदा संकट का इसके संचालन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जिसमें चालू प्रतिष्ठान आकलन भी शामिल है। तथापि, यह प्रभाव अन्य बातों के साथ–साथ, आगे कोरोनो वायरस वेरिएंट की पहचान के बारे में अनिश्चित भावी घटनाक्रम और इसके प्रसार को रोकने के लिए उठाई जाने वाली किसी भी कार्रवाई पर निर्भर रहेगा, चाहे वह सरकार द्वारा अधिदेशित हो या अन्यथा।

1.4 लाभांश

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने ₹10/– अंकित मूल्य के प्रत्येक पर ₹4.80/– प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश (प्रदत्त शेयर पूंजी का 48%) की सिफारिश की है, जो आगामी 53वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है। उपरोक्त लाभांश 2 सितंबर, 2021 को प्रदत्त ₹2.00/– प्रति इक्विटी शेयर (प्रदत्त शेयर पूंजी का 20%) के प्रथम अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है, ₹2.50/– प्रति इक्विटी शेयर का दूसरा अंतरिम लाभांश (प्रदत्त शेयर पूंजी का 25%) का भुगतान 5 नवंबर, 2021 को किया गया और ₹6.00/– प्रति इक्विटी शेयर (प्रदत्त शेयर पूंजी का 60%) की दर से तीसरे अंतरिम लाभांश का भुगतान 3 मार्च, 2022 को किया गया।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कुल लाभांश, जिसमें प्रस्तावित अंतिम लाभांश भी शामिल है, ₹10/– प्रति के अंकित मूल्य के प्रति शेयर पर ₹15.30 के सामान है, जो कंपनी की समादत्त शेयर पूंजी का 153% है। पिछले वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए, कंपनी ने ₹10/– प्रति के अंकित मूल्य के शेयर पर ₹12.71 प्रति शेयर के लाभांश का भुगतान किया था, जो कंपनी की समादत्त शेयर पूंजी का 127.10% था।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश सहित कुल लाभांश भुगतान ₹3,021.62 करोड़ होगा। लाभांश का भुगतान कंपनी की लाभांश वितरण नीति के अनुसार किया जाता है, जो https://recindia.nic.in/uploads/files/Dividend_Distribution_Policy.pdf पर उपलब्ध है।

1.5 शेयर पूंजी एवं अधिलाभांश निर्गम

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹5,000 करोड़ थी, जिसमें ₹10/– प्रति के ₹500 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल थे; तथा जारी और समादत्त शेयर पूंजी ₹1,974.92 करोड़ थी, जिसमें ₹10/– प्रति के 197,49,18,000 इक्विटी शेयर शामिल थे। भारत सरकार के उपक्रम पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार कंपनी की समादत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 52.63% धारण किया हुआ था, जिसमें ₹10/– प्रति रुपए प्रत्येक के 103,94,95,247 इक्विटी शेयर शामिल थे। शेष 47.37% समादत्त इक्विटी शेयर पूंजी जनता द्वारा धारित थी।

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीआईएएम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सीपीएसई द्वारा पूंजी प्रबंधन पुनर्गठन पर व्यापक दिशा–निर्देशों के अनुसार और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के आधार पर, कंपनी अपने शेयरधारकों को 1:3 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने का प्रस्ताव करती है, अर्थात अपने 'प्रतिभूति प्रीमियम खाते' में जमा राशि में से ₹6,58,30,60,000 से अनाधिक की राशि का पूंजीकरण करते हुए प्रत्येक ₹10/– के पूर्णतः समादत्त प्रत्येक तीन (3) मौजूदा इक्विटी शेयरों के लिए ₹10/– प्रति का पूर्णतः समादत्त एक (1) बोनस इक्विटी शेयर। शेयरधारकों ने 9 अगस्त, 2022 को डाक मतपत्र के माध्यम से उक्त बोनस निर्गम को मंजूरी दी है। उक्त बोनस शेयर कंपनी के पूर्णतः समादत्त इक्विटी शेयरों से निर्गम के समरूप होंगे।

डाक मतपत्र नोटिस और परिणाम को https://recindia.nic.in/postalballot पर देखा जा सकता है। बोनस शेयरों के आवंटन के बाद, कंपनी की समादत्त शेयर पूंजी ₹2,633.22 करोड़ तक बढ़ जाएगी, जिसमें प्रत्येक ₹10/– 2,63,32,24,000 इक्विटी शेयर शामिल होंगे।

1.6 नीतिगत पहलें

कंपनी के नीतिगत ढांचे की लगातार समीक्षा की जाती है, उसे अद्यतन किया जाता है और सुदृढ़ बनाया जाता है, ताकि कारोबारिक मूल्य बढ़ाया जा सके और वैधानिक आवश्यकताओं और संशोधनों की पूर्ति की जा सके।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी ने 'बोर्ड की विविधता और कौशल पर नीति, वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों की नियुक्ति के लिए मानदंड और निदेशकों, केएमपी और अन्य कर्मचारियों को पारिश्रमिक पर नीति', 'निदेशकों के उपयुक्त और उचित मानदंड पर नीति', 'संबंधित पक्षकार संव्यवहारों को निपटाने की नीति' और 'निगमित सुशासन पर आंतरिक दिशा–निर्देश' को अपनाने के साथ अपने कारपोरेट प्रशासन ढांचे को मजबूत बनाया।

बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को संवर्धित करने के लिए, कंपनी ने 'परिचालन आवश्यकताओं के लिए राज्य क्षेत्र की उपयोगिताओं को सावधि ऋण नीति', 'कुसुम योजना के तहत परियोजनाओं के वित्त–पोषण के लिए दिशा–निर्देश','निजी क्षेत्र में पारेषण परियोजनाओं हेतु मूल्यांकन और वित्त–पोषण के लिए दिशा–निर्देश', "पूर्व भुगतान नीति", 'राज्य और निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं के लिए ऋण नीति पत्र' और 'राज्य क्षेत्र के उधारकर्ताओं के लिए एक्सपोजर मानदंड' सहित कारोबार–उन्मुख नीतियों की शुरुआत की।

कंपनी ने 'शक्तियों के प्रत्यायोजन', 'व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति', 'धन–शोधन निवारण और केवाईसी नीति' और 'कोविड –19 महामारी के कारण स्थगन अवधि के दौरान प्रभारित ब्याज के समायोजन के लिए नीति' को आशोधित करते हुए अपने प्रमुख कार्यों के लिए आंतरिक ढांचे को भी अद्यतन बनाया ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी मानव संसाधन प्रथाओं को कर्मचारी अनुकूल बनाए रखने के लिए अपने भर्ती नियमों, पदोन्नति नीति, चिकित्सा कल्याण उपायों आदि को अद्यतन बनाया।

2. वित्तीय समीक्षा

2.1 वित्तीय परिणामों का सारांश

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में आरक्षित निधियों में अंतरण भी शामिल है, इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	एकल		समेकित	
	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
प्रचालन से राजस्व	39,132.49	35,387.89	39,269.05	35,552.68
अन्य आय	97.96	22.55	70.15	22.72
कुल आय	**39,230.45**	**35,410.44**	**39,339.20**	**35,575.40**
वित्तीय लागत	22,052.91	21,489.08	22,050.96	21,489.05
निवल परिवर्तन/लेनदेन विनिमय हानि	799.05	330.26	799.05	330.26
शुल्क और कमीशन व्यय	16.73	9.95	16.73	9.95
उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि	-	-	-	-
वित्तीय लिखितों पर हानि	3,473.31	2,419.62	3,470.02	2,445.94
अन्य व्यय	463.55	405.40	560.10	518.64
कुल व्यय	**26,805.55**	**24,654.31**	**26,896.86**	**24,793.84**
इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखांकित संयुक्त उद्यम के लाभ/हानि का अंश	-	-	(11.81)	(1.97)
कर पूर्व लाभ	**12,424.90**	**10,756.13**	**12,430.53**	**10,779.59**
कर व्यय	(2,378.98)	(2,394.35)	(2,394.83)	(2,401.35)
कर पश्चात लाभ	**10,045.92**	**8,361.78**	**10,035.70**	**8,378.24**
अवधि के लिए अन्य व्यापक आय	(59.07)	456.52	(57.90)	457.76
कुल व्यापक आय	**9,986.85**	**8,818.30**	**9,977.80**	**8,836.00**

(₹ करोड़ में)

विवरण	एकल		समेकित	
	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
जोड़ें: प्रतिधारित आय का प्रारंभिक शेष और अन्य व्यापक आय	4,225.00	3,085.17	4,504.73	3,347.20
विनियोग के लिए उपलब्ध राशि	**14,211.85**	**11,903.47**	**14,482.53**	**12,183.20**
घटाएं : विनियोग				
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित विशेष आरक्षित	(3,080.70)	(2,563.13)	(3,080.70)	(2,563.13)
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित	-	(288.13)	-	(288.13)
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के तहत आरक्षित निधि	(2,010.00)	(1,673.00)	(2,010.00)	(1,673.00)
डिबेंचर मोचन आरक्षित	-	-		-
सामान्य आरक्षित	-	(981.10)		(981.10)
क्षति आरक्षित	-	-		-
स्थायी ऋण लिखतों पर निर्गम व्यय (करों का निवल)	-	(0.70)		(0.70)
लिखतों पर कूपन भुगतान, प्रकृति में पूर्णतः इक्विटी (स्थायी ऋण लिखत) (करों का निवल)	(34.12)	-	(34.12)	
उप-जोड़ : विनियोग	**(5,124.82)**	**(5,506.06)**	**(5,124.82)**	**(5,506.06)**
घटाएं : स्वामियों को लाभांश भुगतान	(2,411.37)	(2,172.41)	(2,411.37)	(2,172.41)
प्रतिधारित आय और अन्य व्यापक आय का अंतिम शेष	**6,675.66**	**4,225.00**	**6,946.34**	**4,504.73**

2.2 राष्ट्रीय राजकोष में योगदान

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी ने राष्ट्रीय राजकोष में ₹3,229.83 करोड़ की राशि का योगदान दिया, जिसमें प्रत्यक्ष करों के लिए ₹3,080.60 करोड और जीएसटी के लिए ₹149.23 करोड़ शामिल थे। पिछले वित्तीय वर्ष में, राष्ट्रीय राजकोष में कुल योगदान ₹2,721.64 करोड़ था।

2.3 अनुपात विश्लेषण :

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के महत्वपूर्ण अनुपातों का तुलनात्मक विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
प्रति शेयर आय (₹)	50.87	42.34
औसत निवल मूल्य पर लाभ (%)	21.28	21.30
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	258.17	219.89
ऋण इक्विटी अनुपात (गुना)*	6.41	7.40
मूल्य आय अनुपात (गुना)#	2.42	3.10
ब्याज कवरेज अनुपात (गुना)	1.56	1.50

**निवल ऋण मूलधन बकाया, घटा उपलब्ध नकदी और नकदी समतुल्यता को दर्शाता है।*
#पीई अनुपात की गणना क्रमशः 31 मार्च, 2022 और 31 मार्च, 2021 को एनएसई में आरईसी के इक्विटी शेयर के समापन मूल्य के आधार पर की जाती है।

2.4 संसाधन जुटाना

2.4.1 वर्ष के दौरान जुटाए गए कुल संसाधन

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी ने बाजार से ₹73,962.93 करोड़ की राशि जुटाई। इसमें बाहरी वाणिज्यिक उधारों से विभिन्न मुद्राओं में ₹19,251.56 करोड़, 2,250.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 37,506.625 मिलियन जेपीवाई, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से क्रमशः ₹25,850 करोड़ और ₹1,250 करोड के दीर्घकालिक और अल्पावधि ऋण, पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्डों से ₹7,316.11 करोड़ संस्थागत बॉण्डों से ₹9,370.20 करोड़ रुपए, एफसीएनआर (बी) ऋणों से 1,420.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर ₹10,494.38 करोड़ और आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) से 59.15 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर ₹430.68 करोड़ शामिल हैं।

2.4.2 विमोचन और पूर्व-भुगतान

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी ने ₹58,376.27 करोड़ की राशि का पुनर्भुगतान किया। इसमें संस्थागत बॉण्ड के लिए ₹36,667.20 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड के लिए ₹7.11 करोड़, कर–मुक्त बॉण्ड्स के लिए ₹839.67 करोड़, यूएसडी बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए 330.00 मिलियन के बराबर ₹2,451.85 करोड़, 845.00 मिलियन यूएसडी के बराबर एफसीएनआर ऋणों के लिए ₹6,307.54 करोड़, 12.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर 192.90 करोड़ रुपए का आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) ऋण, यूरो 10.53 मिलियन और जेपीवाई 188.58 मिलियन का पुनर्भुगतान शामिल है। कंपनी ने बैंकों को दीर्घावधि ऋण ₹11,910 करोड़ का पुनर्भुगतान भी किया।

2.4.3 उधारी लागत

31 मार्च, 2022 को बकाया उधारी के लिए कुल भारित औसत वार्षिक लागत 7.00% थी, जबकि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए यह 7.26% थी।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान फंड जुटाने में सूचीबद्ध बॉण्डों के माध्यम से जुटाए गए ₹9,080 करोड़ शामिल हैं, जिसके लिए जुटाने की लागत 5.85% प्रति वर्ष है। लागत अन्य सीपीएसई/संस्थाओं द्वारा जारी किए गए समान रेटिंग वाले लिखतों की दरों (रॉयटर्स पर मार्जिन) से 15 बीपीएस कम है।

2.4.4 नकद ऋण सुविधाएं

कंपनी के पास अपने दैनिक कार्यों के लिए विभिन्न बैंकों से ₹9,478 करोड़ की अनुमोदित नकद ऋण/कार्यशील पूंजी मांग ऋण/ओवरड्राफ्ट सीमा है, जिसमें से 31 मार्च, 2022 तक ₹1,410 करोड़ प्राप्त किए गए थे।

2.4.5 शाश्वत ऋण लिखत

पिछले वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आरईसी ने शाश्वत ऋण लिखत (पीडीआई) जारी करके ₹558.40 करोड़ की राशि जुटाई

थी। आरईसी ने 10 लाख रुपए के अंकित मूल्य के 5,584 पीडीआई (श्रृंखला 206) जारी किए थे, जिनका सकल मूल्य ₹558.40 करोड़ था, जिसमें 7.97% कूपन दर शामिल थी। पीडीआई की कोई परिपक्वता नहीं है और यह केवल 10 वर्षों के बाद ही कंपनी के विकल्प पर कॉल योग्य है।

उक्त लिखत कंपनी की टियर–I पूंजी का 1.16% अर्थात 31 मार्च, 2022 तक ₹48,052.65 करोड़ रुपए है। इन लिखतों का पहला ब्याज भुगतान 2021–22 में देय था और भुगतान विधिवत रूप से किया गया था। पीडीआई पर विस्तृत प्रकटीकरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में टिप्पणी संख्या 26 में प्रदर्शित किया गया है जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

2.4.6 आरईसी द्वारा जारी हरित बॉण्ड

देश में हरित ऊर्जा की विशाल क्षमता का दोहन करने के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए, आरईसी ने जुलाई 2017 में दस वर्षों के कार्यकाल के लिए 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हरित बॉण्ड जुटाया, जो कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार (आईएसएम) खंड में सूचीबद्ध हैं।

ग्रीन बॉण्ड से प्राप्त प्रतिफलों का उपयोगः आय का उपयोग सौर, पवन और नवीकरणीय क्रय दायित्वों (आरपीओ) के वित्त–पोषण के लिए किया गया है, जिसमें आरईसी के हरित बॉण्ड ढांचे में परिभाषित योग्य परियोजनाओं के पुनर्वित्त, सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव में योगदान और जीवाश्म ईंधन निर्भरता को कम करके भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना शामिल है। केपीएमजी इंडिया ने आरईसी के हरित बॉण्ड ढांचे के आधार पर अपनी पोस्ट–वेरिफिकेशन इंडिपेंडेंट एश्योरेंस रिपोर्ट प्रदान की है और इसे 17 जुलाई, 2018 को क्लाइमेट बॉण्ड्स स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ क्लाइमेट बॉण्ड इनिशिएटिव द्वारा भी प्रमाणित किया गया है।

हरित बॉण्ड ढांचे के अनुसार, आरईसी ने एक सुव्यवस्थित आंतरिक ट्रैकिंग प्रणाली के माध्यम से प्रबंधित एक 'हरित पोर्टफोलियो' तैयार किया है, जिसे नियमित आधार पर अद्यतन किया जाता है, ताकि ऐसे ग्रीन पोर्टफोलियो के लिए आय के आवंटन की निगरानी, स्थापना की जा सके और और उन्हें हिसाब में लिया जा सके।

राजस्थान के बीकानेर में आरईसी द्वारा वित्तपोषित 350 मेगावाट अवाडा ऊर्जा की सौर पीवी परियोजना

ग्रीन बॉण्ड से प्राप्त प्रतिफलों का प्रबंधन : 31 मार्च, 2022 तक निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए बॉण्डों से ₹2,894 करोड़ की राशि निवल आगम आवंटित किए गए थेः

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	स्थान	क्षमता	ऋण संस्वीकृति की तिथि	संस्वीकृत ऋण	बकाया ऋण
क.	**सौर**				
1	करीमनगर, तेलंगाना	15 मेगावाट	11–नवंबर–2016	89.84	65.12
2	तेलंगाना	30 मेगावाट	21–सितंबर–2016	179.62	136.22
3	तेलंगाना	30 मेगावाट	21–सितंबर–2016	179.62	136.52
4	वारंगल, तेलंगाना	15 मेगावाट	11–नवंबर–2016	89.84	65.31
5	आंध्र प्रदेश	500 मेगावाट	24–फरवरी–2016	2,480.00	1,648.41
6	करीमनगर, तेलंगाना	15 मेगावाट	11–नवंबर–2016	89.84	65.10
7	रंगा रेड्डी, तेलंगाना	5 मेगावाट	27–जनवरी–2016	26.90	19.73
8	मेडक, तेलंगाना	7 मेगावाट	26–नवंबर–2015	39.90	28.59

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	स्थान	क्षमता	ऋण संस्वीकृति की तिथि	संस्वीकृत ऋण	बकाया ऋण
9	करीमनगर, तेलंगाना	15 मेगावाट	11—नवंबर—2016	89.84	65.11
10	चित्रदुर्ग, कर्नाटक	30 मेगावाट	17—अप्रैल—2017	150.39	116.67
11	मनसा और संगरूर, पंजाब	50 मेगावाट	21— मई—2016	169.69	123.43
12	कुडलीगी, कर्नाटक	20 मेगावाट	31—दिसंबर—2018	84.00	68.54
13	बेलगाम, कर्नाटक	15 मेगावाट	31—दिसंबर—2018	63.86	52.22
14	बागलकोट, कर्नाटक	15 मेगावाट	31—दिसंबर—2018	64.08	52.41
15	बागलकोट, कर्नाटक	15 मेगावाट	31—दिसंबर—2018	66.41	54.63
16	थूथुक्कुडी, तमिल नाडु	252 मेगावाट	29—दिसंबर—2017	520.00	488.48
	उप-जोड़ (क)			**4,383.83**	**3,186.49**
ख.	**पवन**				
1	मंदसौर, मध्य प्रदेश	20 मेगावाट	28—जनवरी—2016	86.63	52.90
2	त्रिपुर, तमिलनाडु	6.8 मेगावाट	6—जून—2012	26.16	15.35
	उप-जोड़ (ख)			**112.79**	**68.25**
ग.	**नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व**				
1	महाराष्ट्र	आरपीओ	24—जनवरी—2017	500.00	62.50
	उप-जोड़ (ग)			**500.00**	**62.50**
	सकल जोड़ (क+ख+ग)			**4,996.62**	**3,317.24**

आरईसी अपने अनवरत दायित्वों के अनुसार अपने हरित बॉण्ड ढांचे की अपेक्षाओं के अनुरूप है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हरित बॉण्ड के माध्यम से जुटाई गई राशि बॉण्ड की अवधि के दौरान हरित बॉण्ड ढांचे के अनुसार पात्र परियोजनाओं में निवेशित रहे।

2.4.7 अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास

आरईसी के पास केएफडब्ल्यू, जर्मनी के साथ ओडीए (आधिकारिक विकास सहायता) क्रेडिट की पांच लाइनें हैं, उनमें से चार 31 मार्च, 2022 तक पूरी तरह से तैयार की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2021—22 में, आरईसी ने 169.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता के लिए केएफडब्ल्यू के साथ पांचवां ऋण समझौता किया, जिसमें से 31 मार्च, 2022 तक आहरित धनराशि शून्य है। उपरोक्त के अलावा, आरईसी के पास जेआईसीए, जापान के साथ ओडीए क्रेडिट की दो लाइनें हैं। उन दोनों का भी पूरी तरह से लाभ उठाया गया है।

2.5 घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग

आरईसी के घरेलू ऋण लिखतों ने ''एएए'' रेटिंग का आनंद लेना जारी रखा, जो कि क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च और आईसीआरए—क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई उच्चतम रेटिंग है।

इसके अलावा, आरईसी को अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों मूडीज और फिच से क्रमशः ''बीएए3'' और ''बीबीबी—'' की अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग प्राप्त है, जो भारत की संप्रभु रेटिंग के बराबर है।

2.6 वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान किए गए निवेश

आरबीआई ने 4 नवंबर, 2019 के अपने परिपत्र के माध्यम से, एनबीएफसी के संभावित द्रव्यता व्यवधानों के प्रति लचीलापन को बढ़ावा देने और किसी भी तीव्र द्रव्यता तनाव परिदृश्य से बचने के लिए 1 दिसंबर, 2020 से पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) को बनाए रखने के लिए निर्धारित किया था। उसी के अनुपालन में, कंपनी ने वर्ष के दौरान राज्य विकास ऋणों में निवेश किया है।

वित्तीय वर्ष 2021—22 के दौरान, कंपनी ने बाजार परिदृश्य को देखते हुए, स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से एनएचपीसी लिमिटेड में रखे गए 15,64,59,022 इक्विटी शेयर बेच दिए। शेयर की कीमत उसके खरीद मूल्य से अधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी बिक्री पर ₹89.86 करोड़ का संचयी लाभ हुआ।

कंपनी द्वारा किए गए निवेश के अन्य विवरण एकल वित्तीय विवरणों के लेखाओं की टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 10 में दर्शाए गए हैं।

2.7 वर्ष की समाप्ति पर वित्तीय स्थिति

वित्तीय वर्ष 2021—22 की समाप्ति पर, आपकी कंपनी के कुल संसाधन ₹410,412.61 करोड़ थे।

इसमें से, इक्विटी शेयर पूंजी ने ₹1,974.92 करोड़ का योगदान दिया, प्रकृति में पूर्णतः इक्विटी वाले लिखत ₹558.40 करोड़ थे, रिजर्व और अधिशेष सहित अन्य इक्विटी ₹48,452.28 करोड़ थी, उधारियों और अन्य वित्तीय देयताओं सहित वित्तीय देयताओं का योगदान ₹3,59,230.61 करोड़ था और प्रावधानों सहित गैर—वित्तीय देनदारियां ₹196.40 करोड़ रुपए थीं।

इन निधियों को ₹4,06,417.32 करोड़ के दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण, निवेश आदि सहित वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में तैनात किया गया था तथा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, कर संपत्ति आदि सहित गैर—वित्तीय परिसंपत्तियां, ₹3,994.43 करोड़ की थीं, इनके अलावा बिक्री के लिए धारित वर्गीकृत परिसंपत्तियां ₹0.86 करोड़ की राशि की थीं।

3. ऋण संस्वीकृति

वित्तीय वर्ष 2021—22 के दौरान, कंपनी ने ₹54,421.76 करोड़ के ऋण संस्वीकृत किए। आपकी कंपनी द्वारा स्थापना से 31 मार्च, 2022 तक संस्वीकृत संचयी ऋण ₹13,08,992.08 करोड़ थे।

वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिए स्वीकृत ऋणों में ₹16,089.15 करोड़ उत्पादन परियोजनाओं के लिए, ₹14,733.52 करोड़ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए, 21,150.79 करोड़ टीएंडडी परियोजनाओं के लिए शामिल हैं, जिसमें *आत्मनिर्भर भारत* के अंतर्गत भारत सरकार की द्रव्यता अंतर्वेशन योजना के तहत अन्य ऋणों जैसे अल्पावधि, मध्यम अवधि के ऋण आदि के लिए ₹2,448.30 करोड़ शामिल हैं। वर्ष के दौरान स्वीकृत श्रेणी—वार स्वीकृतियों का विवरण बाद में दर्शाया गया है।

4. संवितरण

वित्तीय वर्ष 2021—22 के दौरान, कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष में ₹92,987.49 करोड़ में से कुल ₹64,150.21 करोड़ का संवितरण किया। आपकी कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2022 तक संवितरित संचयी राशि ₹7,54,259.57 करोड़ थी, जिसमें विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के तहत संवितरित सब्सिडी शामिल नहीं थी।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में संस्वीकृत

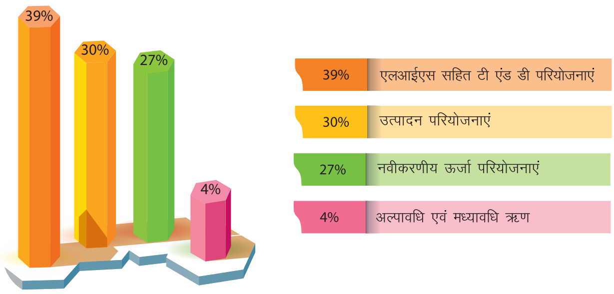

वित्तीय वर्ष 2021-22 में संवितरण

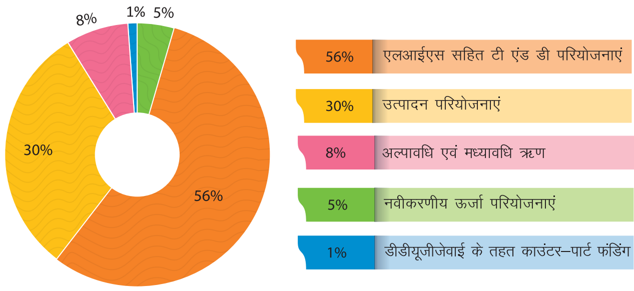

वित्तीय वर्ष 2021–22 के संवितरण में उत्पादन परियोजनाओं के लिए ₹19,406.90 करोड़, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 2,823.51 करोड़ रुपए, टीएंडडी परियोजनाओं के लिए ₹16,554.23 करोड़, *आत्मनिर्भर भारत* के तहत भारत सरकार की द्रव्यता समावेशन योजना के लिए ₹19,752.42 करोड़ तथा लघु अवधि और मध्यम अवधि के ऋण आदि सहित अन्य ऋणों के लिए ₹4,877.68 करोड़ शामिल हैं। संवितरण में डीडीयूजीजेवाई (डीडीजी घटक सहित) और भारत सरकार की सौभाग्य योजनाओं के तहत सहयोगी वित्त–पोषण के ₹735.47 करोड़ भी शामिल थे।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त कुल ₹5,317.66 करोड़ की सब्सिडी भी वितरित की, जिसमें डीडीयूजीजेवाई योजना के तहत ₹4,782.72 करोड़, डीडीयूजीजेवाई योजना के डीडीजी घटक के तहत ₹65.96 करोड़ और सौभाग्य योजनाओं के तहत ₹468.98 करोड़ भी शामिल हैं।

5. वसूलियां

5.1 वर्ष के दौरान वसूलियां

आपकी कंपनी मूलधन, ब्याज आदि से उत्पन्न होने वाली अपनी बकाया राशि की समय पर वसूली को अत्यधिक प्राथमिकता देती है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, मानक परिसंपत्तियों (चरण I और II) के लिए ब्याज सहित वसूली के लिए देय राशि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ₹71,680.23 करोड़ की तुलना में ₹92,696.37 करोड़ थी। कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष में ₹71,424.90 करोड़ की तुलना में वर्ष के दौरान मानक परिसंपत्तियों (चरण I और II) के लिए कुल ₹91,681.72 करोड़ की वसूली की। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 98.91% की वसूली दर हासिल की। 31 मार्च, 2022 तक मानक परिसंपत्तियों (चरण I और II) से संबंधित व्यतिक्रमी उधारकर्ताओं से मूल बकाया राशि ₹591.06 करोड़ थी। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2021–22 में ऋण बाधित परिसंतियां (चरण III) ₹265.33 करोड़ की राशि की वसूली की गई है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में ₹330.50 करोड़ की वसूली की गई थी।

5.2 ऋण बाधित परिसंपत्तियां

आपकी कंपनी की क्रेडिट बाधित परिसंपत्तियां (चरण III) निरंतर निम्न स्तर पर बनी हुई हैं। कंपनी ने अपने लाभ में से "हानि रिजर्व" बनाया है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों (मानक परिसंपत्ति प्रावधान सहित) के अधीन निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यकता से अधिक है।

31 मार्च, 2022 तक सकल ऋण प्रभावित परिसंपत्तियां (चरण III) ₹17,159.89 करोड़ थी, जो सकल ऋण परिसंपत्तियों का 4.45% है; और निवल ऋण प्रभावित परिसंपत्तियां (चरण III) ₹5,594.16 करोड़ थी, जो सकल ऋण परिसंपत्तियों का 1.45% है।

5.3 दबावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन

आरईसी का समर्पित दबावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन (एसएएम) प्रभाग आरबीआई ढांचे तथा दिवाला और शोधन–अक्षमता संहिता (आईबीसी) आदि के तहत प्रस्तावों सहित विभिन्न ढांचे के माध्यम से दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान की दिशा में काम करता है। आरईसी अपने एनपीए को न्यूनतम स्तर पर रखने में सक्षम है, अर्थात यह विद्युत क्षेत्र में सहयोगी संगठनों में निम्नतम है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आरईसी ने 3 दबावग्रस्त विद्युत परियोजनाओं का सफलतापूर्वक समाधान और उन्नयन किया:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	उधारकर्ता और परियोजना का नाम	आरईसी का एक्सपोजर	टिप्पणी
1	एस्सार पावर(एमपी) लिमिटेड (मध्य प्रदेश में 1200 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र)	1,345.00	आईबीसी के अंतर्गत समाधान किया गया।
2	अमृत जल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड आंध्र प्रदेश में 1 मेगावाट सौर संयंत्र	4.35	आईबीसी के अंतर्गत समाधान किया गया।
3	वीएस लिग्नाइट पावर प्राइवेट लिमिटेड राजस्थान में 135 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र	54.00	आईबीसी के अंतर्गत समाधान किया गया।
	जोड़	**1,403.35**	

इसके अलावा, आरईसी अन्य लैंको समूह कंपनियों को दी गई वित्तीय सहायता के आधार पर लैंको थर्मल पावर लिमिटेड (एलटीपीएल) की कारपोरेट गारंटी धारण कर रहा था। एलटीपीटी का वित्तीय वर्ष 2021–22 में आईबीसी के तहत समाधान किया गया था। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2021–22 में एलटीपीएल से आरईसी की कुल वसूली ₹5.79 करोड़ थी।

6. वित्त-पोषण के लिए मूल्यांकन प्रणाली

6.1 निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्तीय पोषण के लिए मूल्यांकन प्रणाली

निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए आपकी कंपनी के अपने दिशा–निर्देश हैं। प्रवर्तक/एंटिटी अप्रेजल वित्तीय कार्य–निष्पादन, ऋण–योग्यता, प्रबंधन दक्षता और प्रवर्तकों संस्थाओं के क्षेत्रीय अनुभव के आधार पर किया जाता है। परियोजना मूल्यांकन विभिन्न तकनीकी मानकों जैसे वैधानिक मंजूरी, पीपीए, अवसंरचना आदि के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार, परियोजना की 'एकीकृत रेटिंग' इकाई और परियोजना की संयुक्त रेटिंग के आधार पर निकाली जाती है। आरईसी की ब्याज दरें और सुरक्षा संरचना निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को प्रदान किए गए ग्रेड या एकीकृत रेटिंग से जुड़ी हुई हैं। वित्तीय वर्ष 22–23 के दौरान निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्त–पोषण के लिए इकाई मूल्यांकन दिशा–निर्देशों की समीक्षा की गई है और उनमें संशोधन किया गया है।

6.2 राज्य विद्युत उपयोगिताओं, संयुक्त उद्यमों, कंपनियों, संस्थाओं आदि की ग्रेडिंग

आपकी कंपनी के पास राज्य बिजली उपयोगिताओं की ग्रेडिंग के लिए एक सुपरिभाषित नीति और दिशा–निर्देश हैं। राज्य बिजली उपयोगिताओं (उत्पादन, पारेषण, कारोबार, धारक कंपनी आदि) की ग्रेडिंग एक वर्ष के दौरान दो बार की जाती है, जो विशिष्ट मापदंडों, परिचालन और वित्तीय कार्य–निष्पादन, विनियामक अनुपालन, वार्षिक वित्तीय परिणाम आदि के लिए उपयोगिता के कार्य–निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है। राज्य विद्युत वितरण उपयोगिताएं (एकीकृत संचालन के साथ एसईबी/यूटिलिटीज सहित) के संबंध में, आपकी कंपनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ढांचे और रेटिंग के अनुमोदन के बाद, स्वतंत्र रेटिंग एजेंसियों द्वारा की गई अंतिम वार्षिक एकीकृत रेटिंग को अपनाती है। डिस्कॉम की एकीकृत रेटिंग के लिए रेटिंग ढांचे की समीक्षा की गई है और बाहरी सलाहकार द्वारा उसे संशोधित किया गया है।

वित्तीय पोषण के उद्देश्य से, आपकी कंपनी ने यूटिलिटिज/संस्थाओं को ए++, ए+, ए, बी और सी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आपकी कंपनी ने 132 यूटिलिटिज (राज्य सरकार को छोड़कर) के संबंध में ग्रेडिंग पूरी कर ली है, जिनमें से 16 यूटिलिटिज को ए++, 39 को ए+, 42 को ए, 25 को बी और 5 यूटिलिटिज को सी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसके अलावा, 5 यूटिलिटिज अनुत्तरदायी थीं।

7. वर्ष के दौरान वित्तीय क्रियाकलाप

आपकी कंपनी बिजली उत्पादन (पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा सहित), गांवों के विद्युतीकरण सहित पारेषण और वितरण परियोजनाओं और *आत्मनिर्भर भारत* के तहत परिकल्पित भारत सरकार की द्रव्यता समावेशन योजना जैसी विशेष योजनाओं के लिए वित्त–पोषण सहायता प्रदान कर रही है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रमुख वित्तीय क्रियाकलापों का विवरण निम्नानुसार था:

7.1 उत्पादन

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आपकी कंपनी ने उत्पादन परियोजनाओं के लिए 53 ऋण स्वीकृत किए जिनमें जलविद्युत परियोजनाएं, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का कार्यान्वयन, नवीकरण और आधुनिकीकरण योजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं आदि शामिल थीं तथा जारी की गई कुल ऋण सहायता की राशि ₹16,089.15 करोड़ थी जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋणों की संख्या	ऋण की राशि
राज्य क्षेत्र	**51**	**14,492.56**
• नए ऋण (ऋणों)	51	14,492.56
• अतिरिक्त ऋण (ऋणों)	0	-
निजी क्षेत्र	**2**	**1,596.59**
• नए ऋण	1	1,300.00
• अतिरिक्त ऋण	1	296.59
जोड़	**53**	**16,089.15**

7.2 नवीकरणीय ऊर्जा

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आपकी कंपनी ने ₹14,733.52 करोड़ की कुल ऋण सहायता के साथ 15 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं स्वीकृत कीं जिनकी कुल संस्थापित उत्पादन क्षमता 1,609 मेगावाट थी, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:–

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋणों की संख्या	ऋण की राशि
राज्य क्षेत्र	**5**	**393.25**
• नए ऋण (ऋणों)	5	393.25
निजी क्षेत्र	**10**	**14,340.27**
• नए ऋण (ऋणों)	9	10,787.27
• टेकआउट वित्तपोषण	1	3,553.00
जोड़	**15**	**14,733.52**

तेलंगाना में इंदिरामा फ्लड फ्लो कैनाल स्कीम में आरईसी द्वारा वित्तपोषित इलेक्ट्रो–मैकेनिकल और संबंधित सिविल कार्य

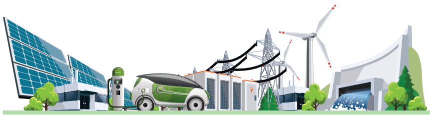

उपरोक्त ऋणों में 810 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 2 पवन ऊर्जा परियोजनाएं, 450 मेगावाट क्षमता की 1 सौर पवन हाइब्रिड परियोजना, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 300 मेगावाट क्षमता की 1 सौर पवन हाइब्रिड परियोजना, पवन टरबाइन निर्माण के 1 टेकआउट का वित्त–पोषण, 2000 एमडब्ल्यूपी प्रति वर्ष क्षमता की 1 सौर मॉड्यूल और सेल विनिर्माण परियोजना, 22.5 मेगावाट क्षमता की 1 छोटी जलविद्युत परियोजना, 26.5 मेगावाट क्षमता की 2 अपशिष्ट–से–ऊर्जा परियोजनाएं, जल संयंत्रों की मरम्मत और रखरखाव के लिए 2 परियोजनाएं और 65 ई–वाहनों की खरीद के वित्त–पोषण के लिए 1 ई–संचलन परियोजना।

7.3 पारेषण और वितरण

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आपकी कंपनी ने 288 पारेषण और वितरण (टीएंडडी) योजनाएं और परियोजनाएं स्वीकृत कीं जिनमें कुल ₹21,150.79 करोड़ की ऋण सहायता शामिल है, जिसमें निजी क्षेत्र में एक अंतराराज्यीय पारेषण परियोजना के लिए ऋण, प्रणाली सुधार योजनाएं, गहन विद्युतीकरण योजनाएं, नवीकरण और आधुनिकीकरण योजनाएं और डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य, आईपीडीएस आदि जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं के अधीन ऋण घटक शामिल हैं। टीएंडडी श्रेणी के तहत कुल ऋण में आत्मनिर्भर भारत के तहत परिकल्पित भारत सरकार की द्रव्यता अंतर्वेशन योजना के तहत ₹3,750.65 करोड़ की राशि के कुल तीन ऋण भी शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान स्वीकृत टीएंडडी ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:–

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋणों की संख्या	ऋण की राशि
राज्य क्षेत्र	**287**	**20,500.79**
• पारेषण ऋण (ऋणों)	125	9,077.46
• वितरण ऋण (ऋणों)	159	7,672.68
• चलनिधि समावेशन योजना ऋण (ऋणों)	3	3,750.65
निजी क्षेत्र	**1**	**650.00**
• अंतरराज्यीय पारेषण परियोजना	1	650.00
जोड़	**288**	**21,150.79**

7.4 अल्पावधि/मध्यावधि ऋण और अन्य ऋण सहायता

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान विभिन्न विद्युत उपयोगिताओं को उनकी अल्पकालिक या मध्यम अवधि की निधि की आवश्यकता, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता आदि के लिए अल्पकालिक, मध्यम अवधि, विशेष ऋण और अन्य ऋणों के रूप में 14 ऋण भी स्वीकृत किए हैं जिनकी कुल राशि ₹2,448.30 करोड़ है।

7.5 पूर्वोत्तर राज्यों में वित्त-पोषण क्रियाकलाप

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा स्वीकृत कुल वित्तीय सहायता में पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए ₹1,008.17 करोड़ की राशि शामिल है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए संवितरण, पूर्व के वर्षों में स्वीकृत परियोजनाओं सहित ₹303.71 करोड़ था।

8. वर्तमान टी एंड डी परिदृश्य और सुधार

चूंकि देश की संस्थापित उत्पादन क्षमता 400 गीगावॉट से अधिक के उच्च स्तर पर है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी क्षमता हासिल करने की योजना बनाई गई है तथा पारेषण और वितरण (टीएंडडी) क्षेत्र में वृद्धि देखे जाने की आशा है। तकनीकी रूप से प्राचीन और पुराने होते वितरण ढांचे को मजबूत करने की भी आवश्यकता है। समय की मांग है कि एक अत्याधुनिक मजबूत और विश्वसनीय पारेषण और वितरण प्रणाली स्थापित की जाए, जो अधिक भार को संभालने में सक्षम हो। भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से कई सुधारों के साथ, बिजली क्षेत्र में वितरण सर्वाधिक बल प्रदान किया जाने वाला क्षेत्र है। इसलिए, टीएंडडी खंड इस क्षेत्र को विश्वसनीय, किफायती और भविष्य के विकास को अवशोषित करने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

आपकी कंपनी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं की नोडल एजेंसी के रूप में, नई अवसरंचना के निर्माण और मौजूदा नेटवर्क को बढ़ाने/मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाती है। आपकी कंपनी व्यापक रूप से सिस्टम सुधार और संवर्धन, हानि में कमी के उपायों, आईटी आधारित प्रणाली कार्यान्वयन, उपभोक्ता संतुष्टि आदि के उद्देश्यों के साथ पारेषण और वितरण परियोजनाओं के सभी पहलुओं को वित्त–पोषित करती है, और इस प्रकार विद्युत क्षेत्र के विकास और स्थिरता तथा देश की समग्र सामाजिक–आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

8.1 वितरण क्षेत्र में प्रमुख सुधार

वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय और परिचालन कार्य–निष्पादन में सुधार के लिए सरकार ने हाल ही में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया है। वितरण क्षेत्र का सहयोग करने के लिए सरकार के नीतिगत ढांचे में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय), एकीकृत बिजली विकास योजना (आईपीडीएस), राष्ट्रीय विद्युत कोष (एनईएफ), द्रव्यता अंतर्वेशन योजना (एलआईएस) जैसी पहलें शामिल हैं।

विद्युत क्षेत्र में विद्युत के उत्पादन, पारेषण और उसकी सार्वभौमिक पहुंच के क्षेत्रों में पिछले पांच वर्षों में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। वितरण क्षेत्र में, सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्यों/वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की सहायता करती रही है। हालांकि इसके परिणामस्वरूप प्रमुख अवसरंचना का निर्माण हुआ है और वितरण क्षेत्र में आपूर्ति पक्ष के अंतर में कमी आई है, लेकिन प्रबंधन और शासन से संबंधित मुद्दे जो डिस्कॉम के खराब परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन में प्रकट होते हैं, अभी भी विद्यमान हैं। सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानि और आपूर्ति की औसत लागत–औसत राजस्व प्राप्त (एसीएस–एआरआर) अंतर निरंतर उच्च बना हुआ है। डिस्कॉम को वांछित उपभोक्ता सेवा मानकों को पूरा करने में सक्षम होने के लिए अपनी परिचालन क्षमता, वित्तीय स्थिरता और उपभोक्ता सेवाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

उपरोक्त के लिए वितरण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधारों की आवश्यकता है, जिसमें ऐसी योजनाएं शामिल हैं जो घाटे को कम करने में डिस्कॉम को सक्षम बनाती हैं, उन्हें वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन रूप से कुशल बनाती हैं। इसी उद्देश्य और 24x7 निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय और किफायती विद्युत आपूर्ति प्रदान करने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता के साथ, 20 जुलाई, 2021 को विद्युत मंत्रालय द्वारा सुधारों की शुरुआत करने और समयबद्ध तरीके से प्रदर्शन में सुधार करने के लिए डिस्कॉम का समर्थन करने के लिए सुधार–आधारित और परिणाम–संबद्ध संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) शुरू की गई है।

आपकी कंपनी डिस्कॉम को विभिन्न सुधार उपायों में तेजी लाने तथा प्रणाली और स्मार्ट ग्रिड के आधुनिकीकरण और स्वचालन, मीटरिंग और उपभोक्ता सेवाओं के लिए आईटी–सक्षम प्रणाली और वितरण क्षेत्र में अन्य तकनीकी हस्तक्षेप सहित सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं, डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य, जिसके लिए आपकी कंपनी नोडल एजेंसी है, को 31 मार्च, 2022 को वित्तीय वर्ष 2021–22 में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

8.2 संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस)

8.2.1 अवलोकन

आरईसी और पीएफसी, 20 जुलाई, 2021 के कार्यालय ज्ञापन के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सुधार–आधारित और परिणाम–सम्बद्ध संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के

लिए नोडल एजेंसियां हैं, जिसमें ₹3,03,758 करोड़ का परिव्यय और केंद्र सरकार की ओर से ₹97,631 करोड़ का अनुमानित सकल बजटीय समर्थन (जीबीएस) शामिल है। योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और निगरानी के लिए नोडल एजेंसी के रूप में आरईसी 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सौंपा गया है, अर्थात् असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू–कश्मीर, लद्दाख, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पीएफसी को निर्दिष्ट किया गया है।

निजी क्षेत्र की डिस्कॉम को छोड़कर सभी वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के बिजली विभाग इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। यह योजना डिस्कॉम के लिए वैकल्पिक है और निजी डिस्कॉम को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जानी है। यह योजना राज्यों को भारत सरकार के अनुमोदन से राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित सुधार उपायों और योजना अवसरंचना के कार्यों को अपनाने में सक्षम बनाती है।

8.2.2 उद्देश्य

योजना के उद्देश्य हैं:

(1) वित्तीय रूप से संधारणीय और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना;

(2) 2024–25 तक एटीएंडसी घाटे को 12–15% के अखिल भारतीय स्तर तक कम करना; तथा।

(3) 2024–25 तक एसीएस–एआरआर अंतर को शून्य करना।

प्रत्येक वर्ष एटीएंडसी हानियों/एसीएस–एआरआर राजस्व अंतर को कम करने के लिए राज्य–वार लक्ष्य एटीएंडसी हानियों के उनके वर्तमान स्तरों और एसीएस–एआरआर अंतर पर निर्भर करेगा।

8.2.3 घटक

भाग क – मीटरिंग एवं वितरण अवसंरचना कार्य:

घटक–I : प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग

घटक–II : सिस्टम मीटरिंग एवं वितरण अवसरंचना के उन्नयन

घटक–III: परियोजना प्रबंधन

भाग ख : प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण और अन्य सक्षम एवं सहायक क्रियाकलाप।

मानव कौशल का उन्नयन, प्रक्रिया में सुधार, नोडल एजेंसी शुल्क, विद्युत मंत्रालय के सक्षम घटकों (संचार योजना, प्रचार, उपभोक्ता सर्वेक्षण, उपभोक्ता सहित) जागरूकता और अन्य संबद्ध उपाय जैसे कि तृतीय–पक्ष मूल्यांकन आदि), स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का संवर्धन (एआई सहित, क्षेत्र स्तर पर योजना के निष्पादन में शामिल कर्मियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण), पुरस्कार और मान्यता आदि।

चालू स्वीकृत परियोजनाएं: पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य में पीएमडीपी 2015 के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं को आरडीएसएस में समाहित कर दिया गया है।

8.2.4 निधियन स्वरूप

मूल्यांकन ढांचे के अंतर्गत निर्धारित परिणामों और सुधारों की उपलब्धि से जुड़ी योजना के अधीन निधि का जारी किया जाना निम्नानुसार होगा:

भाग क – मीटरिंग एवं वितरण अवसंरचना कार्य
घटक–I : मौजूदा बुनियादी ढांचे के एकीकरण सहित उपभोक्ता, डीटी और फीडर स्तर पर प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग समाधान, जीबीएस के माध्यम से निम्नानुसार वित्तीय पोषित किए जाएंगे:

- "अधिसूचित विशेष श्रेणी के राज्यों के अलावा" में डिस्कॉम के लिए, पूरी परियोजना के लिए प्रति उपभोक्ता मीटर ₹900 या प्रति उपभोक्ता मीटर लागत का 15%, जो भी कम हो, आकलित किया गया।
- "अधिसूचित विशेष श्रेणी के राज्यों के अलावा" में डिस्कॉम के लिए, पूरी परियोजना के लिए प्रति उपभोक्ता मीटर ₹1350 या प्रति उपभोक्ता मीटर लागत का (22.5%), जो भी कम हो, आकलित किया गया।

दिसंबर 2023 की लक्षित समय सीमा के अंदर प्रीपेड स्मार्ट मीटर की तैनाती को प्रोत्साहित करने के लिए, योजना निम्नानुसार प्रोत्साहन प्रदान करती है:

- "अधिसूचित विशेष श्रेणी के राज्यों के अलावा" में डिस्कॉम के लिए, पूरी परियोजना के लिए प्रति उपभोक्ता मीटर ₹450 या प्रति उपभोक्ता मीटर लागत का 7.5% की दर से, जो भी कम हो, आकलित किया गया।
- "अधिसूचित विशेष श्रेणी के राज्यों के अलावा" में डिस्कॉम के लिए, पूरी परियोजना के लिए प्रति उपभोक्ता मीटर ₹675 या प्रति उपभोक्ता मीटर लागत का 11.25% की दर से, जो भी कम हो, आकलित किया गया।

  घटक–II: एससीएडीए, डीएमएस, एबी केबल, फीडर सेग्रीगेशन आदि सहित वितरण अवसंरचना कार्य, जीबीएस के माध्यम से वित्तपोषित की जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता निम्नानुसार होगी:

- "विशेष श्रेणी के राज्यों के अलावा" में डिस्कॉम के लिए, अनुमोदित परियोजना लागत का 60% तक और,
- "विशेष श्रेणी के राज्यों" में डिस्कॉम के लिए, अनुमोदित परियोजना लागत का 90% तक।

भाग ख – प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और अन्य सक्षम और सहायक गतिविधियां:

- अनुमानित परियोजना लागत के 100% का वित्त–पोषण जीबीएस के माध्यम से किया जाएगा।

  चालू स्वीकृत परियोजनाएं: आरडीएसएस में शामिल पीएमडीपी 2015 के तहत स्वीकृत परियोजनाएं मौजूदा दिशानिर्देशों और मंजूरी के नियमों और शर्तों के अनुसार 31 मार्च, 2023 तक अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।

8.2.5 विद्युत वितरण क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को प्रवर्तित करना

आरडीएसएस प्रणाली मीटर और प्रीपेड स्मार्ट मीटर सहित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)/परिचालन प्रौद्योगिकी (ओटी) उपकरणों के माध्यम से उत्पन्न डेटा का विश्लेषण करने के लिए प्रगत प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने पर विशेष बल प्रदान करता है, ताकि साझेदारी और परामर्श का लाभ उठाकर विद्युत वितरण में एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस)/एमएल (मशीन लर्निंग) जैसी प्रगत प्रौद्योगिकियों की शुरुआत करते हुए परिकल्पित लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके।

आरईसी डिस्कॉम का चयन करने और प्रमुख हस्तक्षेप क्षेत्रों की पहचान करने के लिए नामित एजेंसी के रूप में भूमिका निभाता है, प्रतिस्पर्धी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) का चयन करने के लिए इनक्यूबेटर (रों) को सूचीबद्ध करता है और प्रायोगिक परियोजनाओं और उनके उन्नयन के लिए शासन तंत्र स्थापित करता है। "पावरथॉन" नामक प्रतियोगिता का शुभारम्भ 7 फरवरी, 2022 को माननीय केंद्रीय कैबिनेट विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा टीएसपी का चयन करने के लिए इच्छुक डिस्कॉम द्वारा प्रस्तुत समस्या विवरणों का समाधान करने के लिए किया गया था।

पॉवरथॉन–2022 का मुख्य उद्देश्य टीएसपी, स्टार्ट–अप, शैक्षणिक संस्थाओं, अनुसंधान संस्थाओं, उपकरण निर्माताओं, राज्य बिजली उपयोगिताओं तथा अन्य राज्य और केंद्रीय बिजली क्षेत्र की संस्थाओं की भागीदारी के लिए एक मंच तैयार करना, उन्हें विद्युत वितरण

आरईसी द्वारा उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड को 2x60 मेगावाट व्यासी जल विद्युत परियोजना में स्विचयार्ड के लिए वित्तपोषण

क्षेत्र में पेश आ रही वर्तमान चुनौतियों की जानकारी प्रदान करना तथा पावरथॉन–2022 में भाग लेने के लिए मुख्य रूप से टीएसपी से आवेदन आमंत्रित करना है। इसमें, टीएसपी जटिल समस्याओं को हल करने के लिए उन्नत उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे एआई/एमएल, ब्लॉकचैन इत्यादि के आधार पर अपने प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों का प्रदर्शन कर सकते हैं।

8.3 राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ)

आरईसी राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) के संचालन के लिए नोडल एजेंसी है, जो एक ब्याज सब्सिडी योजना है जिसमें ₹8,466 करोड़ (ब्याज सब्सिडी और अन्य आकस्मिक व्ययों के प्रति) का प्रावधान है, जिसे दो वित्तीय वर्षों अर्थात 2012–13 और 2013–14 के दौरान संस्वीकृत वितरण योजनाओं के लिए ₹23,973 करोड़ के ऋण संवितरण पर प्रदत्त ब्याज के लिए 14 वर्षों में प्रदान किया जाना है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार वितरण क्षेत्र में अवसंरचना के सुधार के लिए सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों में राज्य विद्युत यूटिलिटिज और वितरण कंपनियों द्वारा लिए गए ऋण के लिए भुगतान किए गए ब्याज पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करता है। इस सुधार से जुड़ी योजना में, एनईएफ दिशानिर्देशों में उल्लिखित सुधार–आधारित मापदंडों की उपलब्धि पर, डिस्कॉम को 3% से 7% की ब्याज सब्सिडी देय है।

आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों की उपयोगिताएं पहले ही इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं, जिसमें 31 मार्च, 2022 तक ₹1,475 करोड़ की ब्याज सब्सिडी जारी की गई है।

8.4 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

भारत सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम, डीडीयूजीजेवाई, जिसके लिए आरईसी नोडल एजेंसी है, अपने समापक वित्तीय वर्ष 2021–22 में, अर्थात 31 मार्च, 2022 को पूर्ण हो गई है। योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार सभी गैर–विद्युतीकृत गांवों/बस्तियों को, उनकी जनसंख्या संबंधी मानदंड पर ध्यान दिए बिना, विद्युतीकरण के लिए कवर किया गया है। एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में, देश के सभी शेष गैर–विद्युतीकृत जनगणना वाले गांव 28 अप्रैल, 2018 को विद्युतीकृत कर दिए गए।

डीडीयूजीजेवाई ने निम्नलिखित परियोजना घटकों के माध्यम से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 'सभी के लिए 24x7 बिजली' की उपलब्धि की दिशा में सुविधा प्रदान की हैः

क. गैर–कृषि उपभोक्ताओं को निरंतर गुणवत्ता वाली बिजली आपूर्ति और कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने वाले कृषि और गैर–कृषि फीडरों को पृथक करना;

ख. उप–पारेषण और वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और संवर्धन;

ग. माइक्रो–ग्रिड और ऑफ–ग्रिड वितरण नेटवर्क;

घ. वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग; और

ङ. ग्रामीण विद्युतीकरण घटक (पूर्ववर्ती आरई परियोजनाओं सहित)।

योजना के तहत, परियोजना लागत का 60% (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 85%) भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किया गया था; और निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि होने पर 15% (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 5%) तक अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया गया था। इस योजना में ₹43,033 करोड़ का स्वीकृत परिव्यय था, जिसमें भारत सरकार से ₹33,453 करोड़ की बजटीय सहायता शामिल थी। विद्युत मंत्रालय द्वारा 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डीडीयूजीजेवाई के लिए ₹48,185.67 करोड़ (30,668.11 करोड़ के अनुदान सहित) की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से ₹33,801.79 करोड़ (₹24,857.82 करोड़ के अनुदान सहित) की राशि को योजना के सफल समापन के समय अर्थात 31 मार्च, 2022 को जारी किया गया था। समाप्ति के आंकड़ों के अनुसार योजना के तहत कुल निष्पादित राशि ₹45,942.74 करोड़ है।

8.4.1 पूर्ववर्ती आरई परियोजनाएं, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विलयित

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों सहित 29 राज्यों में डीडीयूजीजेवाई के तहत पूर्ववर्ती आरई परियोजनाओं (अर्थात, दसवीं योजना, ग्यारहवीं योजना और बारहवीं योजना) के अधीन ₹66,367.13 करोड़ (शामिल अनुदानः ₹59,730.42 करोड़) (डीडीजी परियोजनाओं सहित) की राशि को मंजूरी दी है जिसमें से 31 मार्च, 2022 तक ₹59,651.89 करोड़ (₹53,827.21 करोड़ के अनुदान सहित) जारी किए गए हैं। पूर्ववर्ती आरई परियोजनाओं के तहत कुल निष्पादित राशि बंद होने के आंकड़ों के अनुसार ₹62,066.19 करोड़ है।

8.5 सौभाग्य - प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना

भारत सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम, सौभाग्य (प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना), जिसके लिए आरईसी नोडल एजेंसी है, अपने समापक वर्ष वित्तीय वर्ष 2021–22 में अर्थात 31 मार्च, 2022 को पूर्ण कर लिया गया है। योजना परिव्यय ₹16,320 करोड़ था, जिसमें ₹12,320 करोड़ की सकल बजटीय सहायता शामिल है। सौभाग्य योजना का उद्देश्य निम्नलिखित प्रदान करना है:

क. ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर–विद्युतीकृत घरों के लिए अंतिम छोर तक संयोजनता और बिजली कनेक्शन;

ख. शहरी क्षेत्रों में सभी शेष आर्थिक रूप से निर्धन गैर–विद्युतीकृत परिवारों के लिए अंतिम छोर तक संयोजनता और बिजली कनेक्शन। गैर–निर्धन शहरी परिवारों को इस योजना से बाहर रखा गया है;

ग. दूरदराज के और दुर्गम गांवों/बस्तियों में स्थित गैर–विद्युतीकृत घरों के लिए सौर फोटो–वोल्टेइक (एसपीवी) आधारित स्टैंडअलोन प्रणाली, जहां ग्रिड विस्तार संभव नहीं है या किफायती नहीं है;

इस योजना के अंतर्गत, विद्युत मंत्रालय द्वारा 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ₹14,082.43 करोड़ (₹9,078.84 करोड़ के अनुदान सहित) मंजूर किए गए थे, जिसमें से 31 मार्च, 2022 तक 8,815.12 करोड़ रुपए (भारत सरकार के ₹5,754.09 करोड़ के अनुदान सहित) जारी किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत 31 मार्च, 2022 तक 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है। समाप्ति के आंकड़ों के अनुसार कुल निष्पादित राशि ₹9,246.22 करोड़ है।

8.5.1 सौभाग्य घरों के विद्युतीकरण को सुकर बनाने के लिए अतिरिक्त अवसंरचना

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने डीडीयूजीजेवाई के तहत सौभाग्य योजना के लिए अतिरिक्त अवसंरचना के निर्माण के लिए ₹14,178.89 करोड़ (शामिल अनुदानः ₹9,399 करोड़) की अतिरिक्त निधि को मंजूरी दी थी, जिसमें से 31 मार्च, 2022 तक ₹7,809.15 करोड़ (₹7,213.45 करोड़ के अनुदान सहित) जारी किए गए हैं। अतिरिक्त अवसंरचना परियोजनाओं के तहत कुल निष्पादित राशि ₹11,334.01 करोड़ है।

8.6 प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी-2015)

तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य, अब जम्मू और कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वितरण सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिए प्रधान मंत्री विकास पैकेज, 2015 (पीएमडीपी–2015) की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 27 नवंबर, 2015 को की गई थी, जिसकी अनुमोदित परियोजना लागत ₹2,570.14 करोड़ (भारत सरकार से 90% अनुदान अर्थात ₹2,301.62 करोड़) थी। इस योजना के तहत शामिल किए गए प्रमुख कार्यों में प्रणाली को मजबूत करना, अलग–थलग पड़े घरों को जोड़ना, कंटीले तारों की बाड़ और पुराने खंभों को बदलना, पर्यटन स्थलों पर भूमिगत केबल बिछाना, उपभोक्ता मीटरिंग करना, औद्योगिक क्षेत्रों में 33/11 केवी सब–स्टेशनों का निर्माण और धार्मिक तीर्थ–स्थलों पर विद्युत अवसंरचना का निर्माण करना शामिल है।

उपरोक्त में से ₹1,029.70 करोड़ की परियोजना लागत (भारत सरकार का अनुदानः ₹926.73 करोड़) और ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिए ₹5.15 करोड़ का पीएमए अनुदान स्वीकृत किया गया है। निधि को आरईसी के माध्यम से आबंटित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत, 31 मार्च, 2022 तक ₹615.47 करोड़ की राशि जारी की गई है। इसके अलावा ₹527.55 करोड़ की अतिरिक्त परियोजना लागत और ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण सुदृढ़ीकरण परियोजनाओं के लिए ₹2.65 करोड़ का पीएमए शुल्क और ₹28.44 करोड़ का पीआईए शुल्क विद्युत मंत्रालय द्वारा पीएमडीपी–2015 के तहत स्वीकृत किया गया है। पीएमडीपी–2015 के तहत निधियां 31 मार्च, 2023 तक उपलब्ध रहेंगी।

8.7 डिस्कॉम उपभोक्ता सेवा रेटिंग

आरईसी द्वारा देश भर में डिस्कॉम्स (सार्वजनिक/निजी) को उपभोक्ता केंद्रित सेवा और परिचालन मानकों के संदर्भ में ग्रेडिंग के लिए एक प्रयास किया गया था। स्कोरिंग चार व्यापक मापदंडों में फैली हुई है, अर्थात, (i) प्रचालन विश्वसनीयता, (ii) कनेक्शन और अन्य सेवाएं, (iii) मीटरिंग, बिलिंग और संग्रह, और (iv) दोष सुधार और शिकायत निवारण। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए डिस्कॉम उपभोक्ता सेवा रेटिंग रिपोर्ट कर सकते हैं आरईसी की वेबसाइट https://recindia.nic.in/consumerservice-rating-of-discoms पर देखा जा सकता है।

अभिनव सौर पीवी प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादन परियोजनाओं के आंशिक वित्तपोषण के लिए यूएसडी 169.5 मिलियन के लिए आरईसी के अधिकारियों द्वारा केएफडब्ल्यू डेवलपमेंट बैंक, जर्मनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर।

8.8 नियामक पैरामीटर रिपोर्ट

वर्ष 2021–22 के दौरान, आरईसी ने आवधिक रिपोर्ट प्रकाशित की हैं विभिन्न हितधारकों के लाभ के लिए और नीति निर्माण में सहायता के लिए विद्युत क्षेत्र में उत्पादन, पारेषण और वितरण खंड में प्रमुख नियामक मानकों को प्राप्त करना। प्रकाशित रिपोर्ट को आरईसी की वेबसाइट https://recindia.nic.in/RegulatoryParameters पर देखा जा सकता है।

8.9 ऊर्जा मित्र

ऊर्जा मित्र आपकी कंपनी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी अर्थात आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड ("आरईसीपीडीसीएल") (पूर्ववर्ती आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड) की विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन के अंतर्गत वितरण क्षेत्र की एक पहल है और यह अपने ही प्रकार का प्रथम अनुप्रयोग है जिसे उसके द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

ऊर्जा मित्र राज्य बिजली वितरण उपयोगिताओं के लिए एक केंद्रीय आउटेज प्रबंधन और अधिसूचना मंच प्रदान करता है, जो पूरे भारत में शहरी और ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को एसएमएस, ई–मेल या पुश नोटिफिकेशन के माध्यम से बिजली आउटेज की जानकारी प्रसारित करता है। पूरे देश में बिजली उपभोक्ताओं को एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से आउटेज अपडेट मिलता है। यह देश के किसी भी हिस्से में वास्तविक समय में बिजली कटौती को देखने और बिजली कटौती की शिकायत दर्ज करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। देश में 52 डिस्कॉम के लगभग 23.24 करोड़ उपभोक्ताओं का डेटा ऊर्जामित्र एप्लिकेशन पर अपलोड किया गया है और उपभोक्ताओं को लगभग 530 करोड़ एसएमएस भेजे गए हैं।

8.10 11 केवी ग्रामीण फीडर निगरानी योजना

11 केवी ग्रामीण फीडर निगरानी योजना आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी, आरईसीपीडीसीएल द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। योजना का उद्देश्य "सभी के लिए 24x7 बिजली" की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए फीडर स्तर पर ग्रामीण बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मानकों की निगरानी करना है, जैसे आपूर्ति का समय, आउटेज, वोल्टेज, करंट आदि। यह योजना देश भर में ग्रामीण, कृषि और मिश्रित (कृषि ग्रामीण) फीडरों के लिए मोडेम/डीसीयू स्थापित करके एक आत्मनिर्भर, स्वतंत्र, वेब आधारित स्वचालित प्रणाली विकसित करने का लक्ष्य रखती है। सभी आउटगोइंग 11 केवी ग्रामीण फीडरों और ऐसे 66/33 केवी इनकमिंग फीडरों के विभिन्न आवश्यक मापदंडों पर डेटा प्राप्त किया जाता है, जहां से 11 केवी ग्रामीण फीडर निकल रहे हैं और सभी हितधारकों के लिए जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाती है। इस तरह के डेटा का विश्लेषण विभिन्न हितधारकों जैसे डिस्कॉम, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), आरईसी और आरईसीपीडीसीएल को उपयोगी एमआईएस प्रदान करता है।

8.11 राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली (एनएफएमएस)

आरईसीपीडीसीएल को देश भर में सभी ग्रामीण और शहरी फीडरों में बिजली की विश्वसनीयता और गुणवत्ता की निगरानी के लिए राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएफएमएस) के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है। परियोजना को दो भागों में लागू किया जाएगा, अर्थात, एनएफएमएस सेंट्रल आईटी सॉल्यूशन, जिसमें आरईसीपीडीसीएल अत्याधुनिक केंद्रीय आईटी समाधान स्थापित करेगा जिसमें डेटा अंतर्ग्रहण, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा स्टोरेज और डेटा एनालिटिक्स शामिल होंगे; और एनएफएमएस फील्ड सॉल्यूशन, जिसमें स्मार्ट फीडर मीटरिंग में तेजी लाने के लिए आरईसीपीडीसीएल परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी होगी।

8.12 स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग

आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी, आरईसीपीडीसीएल, देश में उन्नत मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) परियोजनाओं को लागू कर रही है। कंपनी ने चंडीगढ़ में लगभग 25 हजार स्मार्ट मीटर लगाए हैं और जम्मू और श्रीनगर शहरों में 1.15 लाख स्मार्ट मीटर भी लगाए हैं, जिनमें से लगभग 50,000 स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। इसके अलावा आरईसीपीडीसीएल को आरडीएसएस (केरल और गुजरात में) पीएमडी के तहत (जम्मू और कश्मीर के केन्द्र–शासित प्रदेश में) विशेष विकास पैकेज (लद्दाख के केन्द्र–शासित प्रदेश में) के तहत 10 मिलियन से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लागू करने का आशय पत्र भी प्राप्त हुआ है।

8.13 पारेषण परियोजनाओं का क्रियान्वयन:

आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी, आरईसीपीडीसीएल, लद्दाख में समुद्र तल से लगभग 5500 मीटर ऊपर की ऊंचाई पर 220 केवी पारेषण लाइन परियोजना को कार्यान्वित कर रही है, जो भारत की सबसे ऊंची पारेषण लाइन है। इस परियोजना में लद्दाख की नुब्रा और जांस्कर घाटी में आधुनिक गैस इंसुलेटेड सब–स्टेशन (जीआईएस) का निर्माण भी शामिल है। ये परियोजनाएं लद्दाख को निर्बाध ग्रिड बिजली आपूर्ति से जोड़ेगी और क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास में मदद करेगी।

8.14 तरंग

तरंग (रियल–टाइम अनुश्रवण एवं विकास के लिए पारेषण ऐप) पारेषण क्षेत्र की एक पहल है, जो आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी आरईसीपीडीसीएल के माध्यम से विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन में क्रियान्वित की जा रही है। तरंग ऐप पारेषण प्रणाली की अखिल भारतीय प्रगति के बारे में एक सूचनात्मक माध्यम प्रदान करता है, जिसे महीने–वार, एजेंसी–वार, राज्य–वार जानकारी आदि के विश्लेषण के लिए ड्रिल डाउन किया जा सकता है।

तरंग टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के साथ–साथ विनियमित टैरिफ तंत्र के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही अंतर–राज्य और अंतर–राज्य पारेषण परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करता है।

9. सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत निष्पादन और उपलब्धियां

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान और 31 मार्च, 2022 तक संचयी रूप से विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के तहत प्रदर्शन और उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

9.1 आरडीएसएस, डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य और पीएमडीपी-2015 के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निष्पादन और उपलब्धि:

क. संस्वीकृति एवं राशि जारी करना: वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आरईसी (नोडल एजेंसी) को सौंपे गए राज्यों में स्मार्ट मीटरिंग और हानि में कमी के लिए किए गए कार्यों हेतु आरडीएसएस के तहत ₹89,521 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी। इसके अलावा, सौभाग्य के अंतर्गत छूटे हुए घरों के विद्युतीकरण के लिए डीडीयूजीजेवाई के अधीन ₹2,860.59 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी।

भारत सरकार की आर्थिक सहायता को आरईसी (नोडल एजेंसी) के माध्यम से प्रसारित किया जाता है और संबंधित राज्य सरकार या कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किसी भी वित्तीय संस्थान या अपने स्वयं के स्रोतों से ऋण के माध्यम से उसके समान योगदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, राज्यों को ₹5,413.34 करोड़ कुल जीबीएस रुपये की राशि की धनराशि जारी की गई है [डीडीयूजीजेवाई को शामिल करके (अतिरिक्त अवसंरचना सहित): ₹3,240.83 करोड़ डीडीजी: ₹99.06 करोड़, पीएमडीपी–2015: ₹2.72 करोड़ और सौभाग्य: ₹360.41 करोड़]।

ख. अवसंरचना के सृजन की भौतिक प्रगति: वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, जम्मू–कश्मीर के लिए भारत सरकार की 3 योजनाओं अर्थात डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य और पीएमडीपी–2015 के तहत निम्नलिखित कार्य पूरे किए गए हैं:

(i) संवर्धन सहित सब–स्टेशनों को चालू करना: 382

(ii) वितरण ट्रांसफार्मर को चालू करना (संवर्धन सहित): 82,444

(iii) 11 केवी लाइनें (फीडर पृथक्करण सहित): 71,114 सीकेएम

(iv) एलटी लाइनें: 1,21,313 सीकेएम

(v) 33 केवी/66 केवी लाइनें: 8,409 सीकेएम

(vi) उपभोक्ता मीटरिंग की संस्थापना: 42,15,933

(vii) डीटीआर और फीडर की मीटरिंग: 51,966

घ. घरों के विद्युतीकरण की प्रगति : वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान डीडीयूजीजेवाई के तहत 4.41 लाख घरों का विद्युतीकरण किया गया।

9.2 31 मार्च, 2022 तक संचयी कार्य-निष्पादन

क. संस्वीकृति एवं राशि जारी करना: स्मार्ट मीटरिंग और हानि में कमी के लिए आरईसी (नोडल एजेंसी) को आवंटित राज्यों को ₹89,521 करोड़ की राशि मंजूर की गई थी। हालांकि, 31 मार्च, 2022 तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है। आरई परियोजनाओं और सौभाग्य योजनाओं सहित डीडीयूजीजेवाई के अधीन, कुल ₹1,44,537 करोड़ की राशि मंजूर की गई और परियोजनाओं के पूरा होने पर कुल निष्पादित लागत 31 मार्च 2022 तक ₹1,30,312 करोड़ थी।

योजनाओं के शुभारंभ के बाद से, 31 मार्च 2022 तक कार्यान्वयन एजेंसियों को नोडल एजेंसी के रूप में आरईसी द्वारा भारत सरकार के ₹92,249.52 करोड़ के अनुदान राशि वितरित की गई है [डीडीयूजीजेवाई को शामिल करते हुए (अतिरिक्त अवसंरचना सहित): ₹31,384.90 करोड़, डीडीजी: ₹844.94 करोड़, पीएमडीपी–2015: ₹615.47 करोड़ और सौभाग्य: ₹5,754.09 करोड़]।

ख. अवसंरचना के सृजन की भौतिक प्रगति : उपर्युक्त सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत स्थापना के बाद से 31 मार्च, 2022 तक निम्नलिखित कार्यों को संचयी रूप से पूरा किया गया है:

(i) संवर्धन सहित सब–स्टेशनों को चालू करना (संवर्धन सहित): 7,338

(ii) वितरण ट्रांसफार्मर को चालू करना: 16,62,727

(iii) 11 केवी लाइनें (फीडर पृथक्करण सहित): 8,07,187 सीकेएम

(iv) एलटी लाइनें: 13,83,566 सीकेएम

(v) 33 केवी/66 केवी लाइनें: 41,241 सीकेएम

(vi) उपभोक्ता मीटरिंग की संस्थापना: 1,87,97,312

(vii) डीटीआर और फीडर की मीटरिंग: 2,54,307

ग. घरों के विद्युतीकरण की प्रगति : सौभाग्य योजना अवधि में विभिन्न योजनाओं अर्थात सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई, आरई, राज्य योजनाओं आदि के अंतर्गत उनके शुरू होने से अर्थात अक्टूबर 2017 से 31 मार्च, 2022 को डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं के पूरा होने तक 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है।

10. मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और निगरानी

आपकी कंपनी ने सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य विद्युत उपयोगिताओं को वितरण प्रणाली में नियमित रूप से सहायता और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान की है। कंपनी द्वारा जारी तकनीकी विनिर्देश, (जीटीपी), लेआउट ड्राइंग, डेटा शीट और निर्माण मानकों का उपयोग राज्य बिजली यूटिलिटिज द्वारा उनके राज्य द्वारा अपनाई प्रथाओं के साथ किया जा रहा है।

कंपनी वितरण क्षेत्र में नई उभरती प्रौद्योगिकियों को अपना रही है, जैसे ईआरपी सॉफ्टवेयर सहित प्रीपेड स्मार्ट मीटर, उपभोक्ता और सिस्टम मीटरिंग एएमआई (एचईएस, एमडीएम, बिलिंग सॉफ्टवेयर/सिस्टम और संचार प्रौद्योगिकी), स्काडा, आरटी–डीएएस, डीएमएस, आईटी/ओटी संबंधित कार्य। राज्य विद्युत उपयोगिताएं अपनी परिचालन दक्षता और वित्तीय स्थिरता में सुधार के लिए इन नई तकनीकों का लाभ उठा रही हैं। सरकारी कार्यक्रमों के गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के दिशा–निर्देशों के अनुरूप, ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान साइट और फील्ड कार्यों के लिए आपूर्ति की गई सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सामग्री और फील्ड कार्य निरीक्षण करने के प्रयोजनार्थ आरईसी गुणवत्ता मॉनीटर (आरक्यूएम) और राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटर (एनक्यूएम) नियुक्त किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, सरकारी योजनाओं के तहत स्थापित ग्राम विद्युत अवसंरचनाओं एवं उप–केन्द्रों में आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आरक्यूएम ने 4,169 गांवों, 466 सब–स्टेशनों और 287 फीडरों का क्षेत्र निरीक्षण किया तथा 31 विनिर्माता परिसरों में प्रेषण पूर्व सामग्री निरीक्षण संचालित किए।

11. आईएसओ 9001:2015 गुणवत्ता आश्वासन प्रमाणीकरण

कंपनी ने दावों के प्रसंस्करण के लिए देश भर में कारपोरेट कार्यालय के छह प्रमुख अनुभागों और 18 क्षेत्रीय/राज्य कार्यालयों में आईएसओ 9001:2015 मानकों के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली लागू की है।

12. जोखिम प्रबंधन

कंपनी की एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसमें क्रेडिट जोखिम, परिचालन जोखिम, चलनिधि जोखिम और बाजार जोखिम सहित विभिन्न जोखिम शामिल हैं। कंपनी ने अपने विभिन्न जोखिमों की पहचान की है और उन्हें कम करने के लिए लगातार उचित कदम उठा रही है।

प्रमुख जोखिमों और उनके शमनीकरण उपायों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:–

(i) क्रेडिट जोखिम: क्रेडिट जोखिम वित्त–पोषण उद्योग में निहित जोखिम है और इसमें हानि होने का जोखिम शामिल है, जो उधारकर्ता की क्रेडिट गुणवत्ता में कमी से उत्पन्न होता है और वह जोखिम कि उधारकर्ता ऋण या अग्रिम के तहत संविदात्मक पुनर्भुगतान पर चूक करेगा।

इसे कम करने के लिए, कंपनी क्रेडिट जोखिम का आकलन करने के लिए व्यवस्थित संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन करती है। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन पद्धति, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना और ऋण जोखिम कम करने के उपाय शामिल होते हैं। इसके अलावा, नियमित आधार पर आरईसी ऋण पुस्तिका को ईसीएल पद्धति के आधार पर परिसंपत्ति वर्गीकरण के आधार पर उच्च, मध्यम या निम्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ii) परिचालन जोखिम: परिचालन जोखिम अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं से उत्पन्न होता है।

कंपनी ने एक व्यापक जोखिम रजिस्टर लागू किया है, जिसके माध्यम से सभी परिचालन जोखिमों को मापा जाता है और उन्हें उच्च, मध्यम या निम्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा, कंपनी के परिचालन जोखिमों का अध्ययन कारोबार, अनुपालन, वित्त, मानव संसाधन, साइबर सुरक्षा, कानूनी, परिचालन और सामरिक जैसे सभी कार्यात्मक क्षेत्रों में किया जाता है।

(iii) चलनिधि जोखिम: चलनिधि जोखिम मुख्य रूप से कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों से जुड़ी परिपक्वता के बेमेल के कारण उत्पन्न होता है। देनदारियों को पूरा करने में संभावित अक्षमता का जोखिम शामिल होता है क्योंकि वे देय हो जाते हैं। चलनिधि जोखिम में कंपनी की परिसंपत्तियों में वृद्धि को धन प्रदान करने, वित्त–पोषण स्रोतों में अनियोजित परिवर्तनों का प्रबंधन करने और आवश्यकता पड़ने पर दायित्वों को पूरा करने में असमर्थता शामिल है। कंपनी को चलनिधि जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए प्रतिकूल शर्तों पर धन जुटाने या परिसंपत्तियों को समाप्त करने की आवश्यकता हो सकती है।

चलनिधि जोखिम को कम करने के लिए, परियोजना संवितरण और परिपक्व दायित्वों के आधार पर भविष्योन्मुखी संसाधन जुटाने सहित रणनीतियों का मिश्रण शामिल होता है।

आपकी कंपनी अपनी मजबूत बाजार विश्वसनीयता और उधार के विभिन्न स्रोतों अर्थात संस्थागत बॉण्ड, ईसीबी और बैंक ऋण आदि के माध्यम से धन की व्यवस्था में बाजार में पहुंच के माध्यम से कोविड–19 महामारी के प्रकोप के कारण अपनी तरलता की स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव को कम करने में सक्षम रही है।

(iv) बाजार जोखिम: कंपनी के बाजार जोखिम को कंपनी की आय और पूंजी के लिए जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है, जो बाजार की गतिशीलता में बदलाव के कारण उत्पन होता है, जैसे ब्याज दर या प्रतिभूतियों की कीमतें, विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव।

कंपनी ने बाजार जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न जोखिम सीमाएं लागू की हैं। कंपनी ने ब्याज दर जोखिम, तरलता जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम सहित बाजार जोखिम के घटकों की निगरानी के लिए एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति का भी गठन किया है।

(v) ब्याज दर जोखिम: ब्याज दर जोखिम बाजार ब्याज दरों में उतार–चढ़ाव से उत्पन्न होने वाली संभावित हानि है।

ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए, आपकी कंपनी समय–समय पर प्रचलित बाजार दरों के आधार पर अपनी उधार दरों और उधार की भारित औसत लागत की समीक्षा करती है।

(vi) विदेशी मुद्रा (फोरेक्स) जोखिम: विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम में मुद्राओं के बीच विनिमय दर में उतार–चढ़ाव शामिल होता है जो विदेशी मुद्रा–मूल्यवर्ग की परिसंपत्तियों, देनदारियों और ऑफ–बैलेंस शीट व्यवस्था के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

कंपनी उचित हेजिंग रणनीतियों के माध्यम से विनिमय दर और ब्याज दर से जुड़े विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करती है।

12.1 जोखिम प्रबंधन समिति

कंपनी के एकीकृत जोखिमों की निगरानी के लिए कंपनी के निदेशकों की एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) है। समिति में अध्यक्ष, निदेशक (वित्त) और निदेशक (तकनीकी) सहित दो स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। संगठन के विभिन्न प्रमुख प्रभागों के कार्यपालक निदेशक और मुख्य महाप्रबंधक, आरएमसी की बैठकों में स्थायी रूप से आमंत्रित होते हैं।

आरएमसी का मुख्य कार्य विभिन्न जोखिमों की निगरानी करना और कंपनी के संचालन और अन्य संबंधित मामलों में उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए कार्रवाई को सुझाना है। इसके अलावा, जैसा कि आरबीआई के मानदंडों के तहत अपेक्षित है, कंपनी ने एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) नियुक्त किया है।

12.2 परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति

बाजार जोखिम का प्रबंधन करने के लिए, कंपनी ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) का गठन किया है, जिसमें निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी), कार्यपालक निदेशक और वित्तीय और परिचालन प्रभागों के मुख्य महाप्रबंधक सदस्य के रूप में शामिल हैं। एएलसीओ ब्याज दरों, नकदी और मुद्रा दरों से संबंधित जोखिमों की निगरानी करता है।

13. जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा

आरबीआई ने अपने 3 फरवरी, 2021 के परिपत्र के माध्यम से, ₹5000 करोड़ और उससे अधिक की परिसंपत्ति आकार वाली सभी गैर–जमाकर्ता एनबीएफसी के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) ढांचे को अधिदेशित कर दिया था। तदनुसार, आरईसी ने 1 अप्रैल, 2022 से आरबीआईए ढांचे को लागू किया है। कंपनी के पास एक बोर्ड–अनुमोदित आरबीआईए नीति/मैनुअल है जो संगठन के समग्र जोखिम प्रबंधन ढांचे को जोड़ता है और निदेशक मंडल, लेखा परीक्षा समिति और वरिष्ठ प्रबंधन को संगठन के आंतरिक नियंत्रणों, जोखिम प्रबंधन और शासन संबंधी प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता पर आश्वासन प्रदान करता है। आरबीआईए संगठन को जोखिमों की पहचान करने और बोर्ड द्वारा प्रदान की गई जोखिम प्राथमिकता और दिशा के आधार पर उन पर ध्यान देने में सहायता करेगा। आरबीआईए ढांचे के तहत गतिविधियों में संचालन/गतिविधियों का स्वतंत्र जोखिम मूल्यांकन, लेखापरीक्षा के समग्र क्षेत्र की पहचान, जोखिम मैट्रिक्स का विकास, वार्षिक आरबीआईए योजना तैयार करना और अनुमोदित आरबीआईए नीति में परिभाषित आवृत्ति के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा का निष्पादन शामिल है।

14. अधिमानित ग्राहक नीति

कारोबार संवर्धन रणनीति के एक भाग के रूप में, कंपनी के ग्राहकों को सेवाओं के उन्नत स्तर की पेशकश करने और उनके साथ दीर्घकालिक पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध बनाए रखने के मूल उद्देश्य के साथ 2008 में एक पसंदीदा ग्राहक नीति तैयार की गई थी। नीति पसंदीदा ग्राहकों को निर्धारित करने तथा उन्हें विभिन्न बाहरी एजेंसियों, साथ ही आरईसीआईपीएमटी हैदराबाद द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण संबंधी घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रायोजित करने के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करती है जो बकाया ऋण की राशि, ऋण संबंध की अवधि, उधारकर्ता का पुनर्भुगतान ट्रैक रिकॉर्ड आदि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

कर्नाटक में रिन्यू ग्रुप की 60 मेगावाट की पवन परियोजना, जिसे आरईसी द्वारा वित्तपोषित किया गया था

15. सूचना प्रौद्योगिकी पहलें

आरईसी की संशोधित कारोबार ईआरपी, जो जीएसटी और इंड–एएस को सपोर्ट करती है, में उन्नत विशेषताएं हैं, जिससे कंपनी के कारोबार संचालन के और स्वचालन की सुविधा हुई है। आवश्यकता के अनुसार ईआरपी प्रणाली में लगातार सुधार किया जाता है। आरईसी ने स्वचालित वर्कफ्लो और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रबंधन सुविधाओं के साथ एनआईसी ई–ऑफिस समाधान भी लागू किया है। एनआईसी ई–ऑफिस ने कागज के उपयोग को कम करने के अलावा दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करके कंपनी के कार्य करने के तरीके में बड़ा बदलाव लाया है।

संचालन की मांग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च उपलब्धता के साथ, नवीनतम नेटवर्क और सुरक्षा उपकरणों सहित समूचे संगठन में एमपीएलएस वीपीएन नेटवर्क अवसंरचना सुविधा को नया रूप दिया गया है। सुरक्षित वीपीएन नेटवर्क ने उपयोगकर्ताओं को दूरस्थ स्थानों से आरईसी नेटवर्क से जुड़ने की सुविधा प्रदान की है ताकि कारोबारिक अनुप्रयोगों, जैसे ईआरपी और एनआईसी ई–ऑफिस, तक पहुंच प्राप्त की जा सके और इस इस प्रकार बिना किसी व्यवधान के निर्बाध संचालन सुनिश्चित हो सकें।

आरईसी का प्राथमिक डाटा केंद्र और आपदा रिकवरी केंद्र आईएसओ/आईईसी 27001:2013 प्रमाणित है और भारत सरकार की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का भी अनुपालन करते है। आरईसी ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आईटी ढांचे के मास्टर निर्देश के आईटी सुरक्षा निर्देशों को लागू किया है। इसके अलावा, कंपनी अपने कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा और सूचना सुरक्षा पर प्रशिक्षण और जागरूकता प्रदान करती है।

16. आरईसी विद्युत प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान

आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी) आरईसी के तत्वावधान में एक प्रमुख विद्युत क्षेत्रक प्रशिक्षण संस्थान है। हैदराबाद में 1979 में स्थापित, संस्थान विद्युत क्षेत्र के संगठनों के इंजीनियरों और प्रबंधकों के प्रशिक्षण और विकास की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

पिछले चार दशकों के दौरान, आरईसीआईपीएमटी ने 2,895 राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और उत्पादन, पारेषण और वितरण कंपनियों, विद्युत विभागों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों, विद्युत नियामक आयोगों आदि सहित विद्युत यूटिलिटिज से 63,763 इंजीनियरों/प्रबंधकों को प्रशिक्षित किया है।

16.1 डीडीयूजीजेवाई के तहत विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (एनटीपी)

आरईसीआईपीएमटी विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार द्वारा प्रायोजित डीडीयूजीजेवाई के तहत विद्युत वितरण कंपनियों के सी एंड डी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समन्वय और कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। कोविड–19 वैश्विक महामारी के बावजूद, आरईसीआईपीएमटी ने डिस्कॉम और उनके प्रशिक्षण संस्थानों के साथ 29 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए और वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान देश भर में कुल 679 प्रशिक्षण बैचों में 16,376 प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण पूरा किया। यह उल्लेख करना उचित है कि डिस्कॉम द्वारा 546 प्रशिक्षण बैचों का आयोजन किया गया था, जबकि 113 प्रशिक्षण बैचों का आयोजन डिस्कॉम के अनुरोध पर आरईसीआईपीएमटी के सपोर्ट द्वारा किया गया था।

16.2 भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) के तहत विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

आरईसीआईपीएमटी अंतरराष्ट्रीय विद्युत क्षेत्र के संगठनों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार के साथ एक भागीदार प्रशिक्षण संस्थान भी है। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि 4 से 12 सप्ताह तक की होती है। 2005 से अब तक, आरईसीआईपीएमटी ने 104 ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है और 98 देशों के 1,747 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है।

2021–22 के दौरान, 3 सप्ताह की अवधि के 2 वेबिनार आयोजित किए गए, जिसमें अजरबैजान, अल्जीरिया, बांग्लादेश, भूटान, बोलीविया, कंबोडिया, इथोपिया, इक्वाडोर, मिस्र, कीनिया, लेबनान, मॉरीशस, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, फिलिस्तीन, सेशेल्स, श्रीलंका, सूडान, तंजानिया, थाईलैंड और जाम्बिया जैसे देशों के 64 अधिकारियों की भागीदारी देखी गई थी।

16.3 आरईसी प्रायोजित कार्यक्रम

कोविड–19 वैश्विक महामारी की स्थिति के दौरान प्रशिक्षण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विद्युत उपयोगिताओं के अधिकारियों के मध्य जागरूकता लाने के लिए, आरईसीआईपीएमटी द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान अखिल भारतीय प्रतिभागिता के साथ निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम निःशुल्क आयोजित किए गए:

क. विद्युत सुरक्षा पर आरईसी प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

सुरक्षा देश में विद्युत यूटिलिटिज की प्रमुख चिंता है, आरईसी ने "विद्युत सुरक्षा" पर 60 बैचों को प्रायोजित किया, जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान विभिन्न यूटिलिटिज के 1,522 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

ख. डिस्कॉम के तकनीकी-वाणिज्यिक सुधार पर आरईसी प्रायोजित वेबिनार

आरईसीआईपीएमटी ने "डिस्कॉम के निष्पादन के तकनीकी–वाणिज्यिक सुधार" पर 2–दिवसीय वेबिनार के 40 बैचों का आयोजन किया, जिसमें विद्युत अधिनियम संशोधन, टैरिफ सुधार, वास्तविक समय बाजार और नवीकरणीय एकीकरण जैसे विषयों को शामिल किया गया। उक्त के तहत ही, आरईसीआईपीएमटी ने विद्युत क्षेत्र की कंपनियों अर्थात जेनकोस, ट्रांसको और डिस्कॉम के 1,004 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया,।

ग. विद्युत यूटिलिटिज की स्थिरता पर आरईसी प्रायोजित वेबिनार

आरईसी ने "विद्युत यूटिलिटिज की स्थिरता" पर 1–दिवसीय वेबिनार के 50 बैचों को प्रायोजित किया है और विद्युत क्षेत्र के 1,027 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है, जिसमें जेनकोस, ट्रांसको और डिस्कॉम शामिल हैं।

16.4 विद्युत यूटिलिटिज के लिए ओपन कैलेंडर प्रोग्राम

कोविड–19 की स्थिति के कारण, वेबिनार के रूप में प्रशिक्षणों की घोषणा वर्चुअल या ऑनलाइन मोड में की गई थी। महामारी की गंभीरता के बावजूद, आरईसीआईपीएमटी ने सौर ऊर्जा उत्पादन, आपदा प्रबंधन, वितरण ट्रांसफार्मर, श्रम कानून, सब–स्टेशनों के ओ एंड एम और स्मार्ट मीटर जैसे विभिन्न विषयों पर वेबिनार के रूप में 13 प्रशिक्षण कार्यक्रम और कक्षा मोड में 2 कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए। इसमें कुल 266 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

16.5 आरईसी कार्यपालक (इन-हाउस) प्रशिक्षण कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आरईसीआईपीएमटी ने एचपीएसईबीएल के लिए 12 दिनों की अवधि के 8 कक्षा सत्र और डीवीसी के लिए 3 ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किए। इसके अलावा, एचपीएसईबीएल के कुल 200 नए भर्ती हुए जूनियर टीममेट्स और जूनियर हेल्पर्स के 8 बैचों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। आरईसीआईपीएमटी ने बिजली केबल चयन, परीक्षण बिछाने और चालू करने पर 126 डीवीसी अधिकारियों के लिए 3 ऑनलाइन प्रशिक्षण भी आयोजित किए।

16.6 अनुकूलित कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आरईसीआईपीएमटी ने एचपीएसईबीएल के लिए 12 दिनों की अवधि के 8 कक्षा सत्र

और डीवीसी के लिए 3 ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किए। इसके अलावा, एचपीएसईबीएल के कुल 200 नए भर्ती हुए जूनियर सहयोगियों और जूनियर हेल्पर्स के 8 बैचों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। आरईसीआईपीएमटी ने विद्युत केबल चयन, परीक्षण, बिछाने और चालू करने के लिए 126 डीवीसी अधिकारियों के लिए 3 ऑनलाइन प्रशिक्षण भी आयोजित किए।

16.7 वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित कुल प्रशिक्षण कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आरईसीआईपीएमटी ने कुल 868 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें कुल 64,361 प्रशिक्षण–दिनों की उपलब्धि के साथ 20,728 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

17. मानव संसाधन प्रबंधन

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आरईसी के कार्यपालक बल को पेशेवर बनाने और नए लोगों को शामिल करने करने के लिए, कैंपस और सीधी भर्ती के माध्यम से 44 अधिकारियों की नियुक्ति की गई। 31 मार्च, 2022 तक कंपनी की कुल जनशक्ति 440 कर्मचारियों की थी, जिसमें 392 कार्यपालक और 48 गैर–कार्यपालक शामिल हैं।

17.1 रोजगार में आरक्षण

विभिन्न पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के लिए आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन किया गया। 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, कुल संख्या के प्रति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों का समूह–वार विवरण निम्नानुसार था:

		कार्मिकों की संख्या			
वर्ष	श्रेणी	समूह क	समूह ख	समूह ग	श्रेणी
2021-22	कुल कार्मिक	392	15	33	**440**
	अनु. जाति	43	3	15	**61**
	अनु. जनजाति	17	0	0	**17**
	अन्य पिछड़ा वर्ग	83	1	3	**87**
2020-21	कुल कार्मिक	366	22	40	**428**
	अनु. जाति	40	3	15	**58**
	अनु. जनजाति	16	0	0	**16**
	अन्य पिछड़ा वर्ग	72	1	3	**76**

17.2 प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कर्मचारियों के कौशल सेट के उन्नयन और निष्पादन की उच्च डिलीवरी को सुनिश्चित करने सहित प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास के साथ क्षमता निर्माण के उपाय को प्राथमिकता दिया जाना जारी रखा गया। कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण, कर्मचारियों को महामारी के दौरान जीवन शैली के प्रबंधन पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों और विभिन्न विशेष कार्यक्रमों को लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

कंपनी की प्रशिक्षण और मानव संसाधन नीति का उद्देश्य बेहतर कर्मचारी निष्पादन के लिए आवश्यक कारोबारिक कौशल और दक्षताओं को तीव्र करना हैय और कर्मचारियों को उनके निष्पादन और उत्पादकता में सुधार के लिए हर संभव अवसर और सहायता प्रदान करता है। कारोबारिक आवश्यकताओं की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के साथ–साथ कर्मचारियों को उस सामाजिक–आर्थिक वातावरण के बारे में जागरूक करने के लिए भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिसमें कंपनी संचालित होती है। स्वास्थ्य और आध्यात्मिक कल्याण के विषयों पर प्रशिक्षण भी दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, 231 कर्मचारियों ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि में भाग लिया, जिससे कंपनी 466 प्रशिक्षण मानव दिवस प्राप्त करने में सफल रही।

17.3 कर्मचारी कल्याण

कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए, डॉक्टरों की अंशकालिक सेवाओं को ऑनसाइट चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए नियोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने अपने कर्मचारियों, उनके आश्रित परिवार के सदस्यों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 7 (सात) कोविड टीकाकरण शिविर आयोजित किए। कंपनी ने अपने कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए खेल और मनोरंजन उपकरण भी वित्त–पोषित किए हैं। कर्मचारियों को प्रतिष्ठित संस्थानों

26वें इंटर–सीपीएसयू बैडमिंटन टूर्नामेंट में आरईसी की बैडमिंटन टीम पुरस्कार विजेता

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर ऋषिकेश में आरईसी की महिला कर्मचारी

द्वारा आयोजित विभिन्न प्रश्नोत्तरी, पेपर प्रस्तुतियों और सिमुलेशन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

17.4 खेल गतिविधियां

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आरईसी ने गुरुग्राम में एक इंटर–सीपीएसयू क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी की और पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड (पीएससीबी) के तत्वावधान में इसके अंतर्गत विद्युत क्षेत्र के सीपीएसयू द्वारा आयोजित टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, शतरंज आदि जैसे विभिन्न इंटर–सीपीएसयू खेल टूर्नामेंटों के लिए अपने कर्मचारियों को प्रायोजित किया।

17.5 महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

31 मार्च, 2022 तक, कंपनी में 72 स्थायी महिला कर्मचारी थीं, जो कुल कार्यबल का 16.36% प्रतिनिधित्व करती थीं। लिंग के आधार पर कर्मचारियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। कंपनी के पास महिला कर्मचारियों के कल्याण और सर्वांगीण विकास की देखरेख के लिए एक महिला प्रकोष्ठ है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 सभी कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ मनाया गया।

17.6 औद्योगिक संबंध

वित्तीय वर्ष 2021–22 में कंपनी में औद्योगिक संबंध परिदृश्य सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बना रहा। औद्योगिक अशांति के कारण मानव–दिवस का कोई नुकसान नहीं हुआ। कर्मचारी कल्याण के मुद्दों पर आरईसी कर्मचारी संघ और आरईसी अधिकारी संघ के साथ नियमित चर्चा की गई। इससे विश्वास और सहयोग का माहौल बनाने में मदद मिली है, जिसके परिणामस्वरूप एक प्रेरित कार्यबल और निष्पादन में निरंतर सुधार हुआ है।

17.7 शिकायत निवारण

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, कंपनी ने अपने कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक शिकायत निवारण समिति का गठन किया है।

इसके अलावा, आपकी कंपनी के पास व्यापक रूप से जनता की शिकायतों के निवारण के लिए एक लोक शिकायत निवारण प्रणाली है। निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी को अध्यक्ष, लोक शिकायत के रूप में नियुक्त किया है।

18. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल का उद्देश्य सामाजिक रूप से लाभकारी परियोजनाओं का समर्थन करना है, ताकि लाभार्थियों के व्यापक स्पेक्ट्रम के माध्यम से अधिकतम पहुंच बनाई जा सके और एक मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में राष्ट्रीय चिंता के विकास के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों को सशक्त बनाया जा सके। समावेशी सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और सुकर बनाने के लिए स्वच्छता और साफ–सफाई, स्वास्थ्य देख–रेख सुविधाओं को बढ़ावा देने, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरणीय स्थिरता और ग्रामीण ढांचागत विकास के क्षेत्र में सीएसआर पहल की गई है।

कंपनी की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप है; और http://recindia.nic.in/uploads/files/REC-CSR-Policy-07-12-2021.pdf पर उपलब्ध है।

वर्ष 2021–22 के लिए डीपीई द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, सीपीएसई को अपने सीएसआर बजट का 60% अधिमानतः आकांक्षी जिलों में "स्वास्थ्य और पोषण, जिसमें अस्थायी अस्पतालों और अस्थायी कोविड देखभाल सुविधाओं की स्थापना सहित कोविड संबंधित उपायों पर विशेष ध्यान दिया गया हो" विषय पर खर्च करना है। कंपनी ने भारत भर में फैले विभिन्न आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य और संबंधित विषयगत क्षेत्रों में सामाजिक कल्याण गतिविधियों का समर्थन करने के अपने प्रयासों में तेजी लाई है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने और कुपोषण को कम करने के उद्देश्य से कंपनी की सीएसआर परियोजनाएं गजपति (ओडिशा), ममित (मिजोरम), किफिरे (नागालैंड), मुजफ्फरपुर (बिहार), उधम सिंह नगर (उत्तराखंड), चंदेल (मणिपुर) और पश्चिम सिक्किम (सिक्किम) जिलों में शुरू की गईं है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, बोर्ड ने कंपनी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू उपबंधों के अनुरूप ₹170.67 करोड़ के सीएसआर बजट को मंजूरी दी, अर्थात पिछले तीन वित्तीय वर्षों के निवल लाभ के औसत का 2%। उक्त के प्रति, कंपनी ने वर्ष के दौरान ₹171.07 करोड़ खर्च किए हैं (पिछले वर्ष से ₹3.45 करोड़ के अतिरिक्त खर्च को अग्रेनीत करने सहित)। कुल खर्च में पीएम केयर्स फंड में ₹50 करोड़ का योगदान और विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में विभिन्न अन्य परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- भारत के विभिन्न राज्यों में विशेष समर्थताओं वाले 9000 से अधिक व्यक्तियों को इमदाद और सहायक उपकरणों का वितरण।
- मणिपुर के 12 गांवों के लिए मोबाइल स्वास्थ्य क्लीनिक वैन और आपातकालीन एम्बुलेंस उपलब्ध कराना।
- बिहार के 14 जिलों में कैंसर जांच और बुनियादी कैंसर देखभाल सेवाओं को सुदृढ़ बनाना।
- उत्तर प्रदेश में समुदायों को सशक्त बनाकर सर्वाइकल कैंसर की जांच में सुधार करना।
- मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में 150 आदिवासी छात्राओं के लिए आवासीय भवन (जी+2) के निर्माण के लिए सहायता और 1541 से अधिक बच्चों वाले 11 सेवा कुटीरों को अध्ययन, भोजन और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के लिए सहायता प्रदान करना।
- गुरुग्राम, हरियाणा और हरदोई, उत्तर प्रदेश में प्रवासी निर्माण मजदूरों के 462 बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए इनोवेटिंग मोबाइल स्कूल का संचालन।
- महाराष्ट्र में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को बीज का मुफ्त वितरण।
- आंध्र प्रदेश के जैव–संसाधनों का संरक्षण और सतत प्रबंधन।
- लेह में बुजुर्गों की देखभाल के लिए स्वास्थ्य सुविधा (60 सीटर) के साथ आश्रय गृह का निर्माण और संचालन।
- 5 स्थानों, नामतः बारां (राजस्थान), पुणे (महाराष्ट्र), चंबा (हिमाचल प्रदेश), पिथौरागढ़ (उत्तराखंड), चतरा (झारखंड) के अस्पतालों में 4300 एलपीएम दबाव स्विंग एडसॉर्पशन (पीएसए) ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र की स्थापना और उसे चालू करना।
- पूरे भारत में खेलों का व्यापक आधार और खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, महिला हॉकी, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी पर जोर देना।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं के संबंध में कंपनी द्वारा किए गए प्रभाव मूल्यांकन के विवरण शामिल हैं, इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग हैं।

19. सतर्कता क्रियाकलाप

आरईसी लगातार कर्मचारियों के मध्य शुचिता और अखंडता को इष्टतम करने और सभी परिचालन क्षेत्रों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। आरईसी के सतर्कता विभाग का मुख्य उद्देश्य नीतियों की समीक्षा, संवेदनशील पदों पर रहने वाले कर्मचारियों का रोटेशन और स्थानांतरण, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा, परियोजनाओं की समीक्षा, दी गई निविदाओं और अनुबंधों की समीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण, वार्षिक संपत्ति रिटर्न (एपीआर) की समीक्षा, आदि करके 'निवारक सतर्कता' को मूर्त रूप देना है।

इस संबंध में, निम्नलिखित प्रमुख क्रियाकलाप किए गए हैं:

- सीवीसी/विद्युत मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में चिन्हित संवेदनशील पदों से रोटेशनल स्थानांतरण के मामले पर लगातार कार्रवाई की जा रही है.
- सीवीसी और विद्युत मंत्रालय को समय पर विहित आवधिक सांख्यिकीय विवरणी भेजना।
- लेखापरीक्षा रिपोर्टों अर्थात आंतरिक, सांविधिक और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की नियमित समीक्षा।
- परियोजनाओं, प्रदान की गई निविदाओं और अनुबंधों की समीक्षा। जहां–कहीं भी विचलन पाया गया, मामले को संबंधित प्रभागों के साथ उठाया गया, जिससे मूल्यांकन प्रणाली और दिशानिर्देशों को सुदृढ़ किया गया।
- क्षेत्रीय कार्यालयों का क्षेत्र निरीक्षण और एपीआर की संवीक्षा।
- कानूनी सलाहकार और ऋणदाता के कानूनी सलाहकार की चयन प्रक्रिया की समीक्षा।
- आरईसी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का क्षेत्र निरीक्षण।
- प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर बल दिया जाना जारी रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप ऋण, योजनाओं, निविदाओं, तीसरे पक्ष के बिल आदि से संबंधित जानकारी ऑनलाइन होती है।
- समय पर पता लगाने और चूक की घटना को कम करने के लिए सतर्कता निगरानी प्रणाली विकसित की गई है, जिसमें खरीद और अनुबंध, बिल ट्रैकिंग, ऋण, संपत्ति और कर्मचारी भुगतान (चिकित्सा और यात्रा) जैसी संगठन की विभिन्न कार्यात्मकताएं शामिल हैं।
- यह सुनिश्चित किया गया था कि निविदाएं, अपेक्षित प्रपत्र, ऋण आवेदनों की स्थिति और तीसरे पक्ष के भुगतान, उचित व्यवहार संहिता, धोखाधड़ी निवारण नीति, सीएसआर दिशानिर्देश, व्हिसल ब्लोअर नीति आदि जैसी सूचनाएं और नीतियां आरईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

19.1 सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

आरईसी लिमिटेड ने केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा इस संबंध में जारी परिपत्र के अनुरूप, "स्वतंत्र भारत @ 75: अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता" विषय पर 26 अक्टूबर, 2021 से 1 नवंबर, 2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 का आयोजन किया।

सभी कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई और कर्मचारियों के साथ–साथ बड़े पैमाने पर जनता के बीच सतर्कता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। "नेस्ट मैन ऑफ इंडिया" के रूप में विख्यात और पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण और जैव–विविधता के संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे एनजीओ "ईसीओ रूट्स" के संस्थापक श्री राकेश खत्री के सहयोग से घोंसला बनाने की कला सीखने की एक गतिविधि का आयोजन किया गया।

20. राजभाषा कार्यान्वयन

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के संदर्भ में अधिकारिक कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कंपनी द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कारपोरेट कार्यालय में 14–28 सितंबर, 2021 तक *'हिंदी पखवाड़ा'* आयोजित किया गया, जिसमें राजभाषा प्रश्नोत्तरी, हिंदी वर्तनी, हिंदी अनुवाद, हिंदी निबंध लेखन, हिंदी कविता लेखन और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इस तरह के आयोजनों और प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों की भागीदारी उत्साहजनक थी।

कर्मचारियों को अपने दैनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के लिए विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। आरईसीआईपीएमटी सहित कंपनी के विभिन्न कार्यालयों में भी *'हिंदी पखवाड़े'* का आयोजन किया गया, ताकि प्रतिभागियों को उनके आधिकारिक कार्यों को हिंदी में करने का व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, संसदीय राजभाषा समिति ने कंपनी के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों अर्थात चेन्नई, जम्मू, हैदराबाद, कोलकाता और पटना का सफलतापूर्वक निरीक्षण किया। इन निरीक्षणों ने कर्मचारियों में अपने कार्य में हिंदी को अपनाने के लिए जागरूकता की भावना उत्पन्न की है।

कारपोरेट कार्यालय और आरईसीआईपीएमटी, हैदराबाद द्वारा 9–10 दिसंबर 2021 के दौरान एक राजभाषा सम्मेलन–सह–हिंदी

कार्यशाला का आयोजन किया गया। 27 अगस्त, 2021 को नए भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए एक विशेष हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, दिल्ली के दल ने कर्मचारियों को हिंदी के उपयोग में सुधार के लिए मार्गदर्शन किया।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम–I) दिल्ली ने अपनी 35वीं बैठक में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए आरईसी को *'श्रेष्ठ कार्यान्वयन पुरस्कार'* से सम्मानित किया है। इसके अलावा, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा कंठस्थ (ट्रांसलेशन मेमोरी) के कार्यान्वयन के लिए आरईसी को पुरस्कार प्रदान किया गया है।

आरईसी एक हिंदी पत्रिका 'ऊर्जायन' प्रकाशित कर रहा है, जिसमें दिलचस्प और उपयोगी लेख और साथ ही इसके कर्मचारियों के साहित्यिक लेख शामिल हैं। कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए, कंपनी ने वृतांत, लेख, कविता आदि के लिए पुरस्कार और प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई है। वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा अपने ट्वीट और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट में हिंदी के उपयोग को भी बढ़ावा दिया गया था।

21. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और बहिर्गमन के संबंध में विवरण

21.1 ऊर्जा का संरक्षण

आपकी कंपनी के पास कोई विनिर्माण सुविधा नहीं है, ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण से संबंधित कोई महत्वपूर्ण विवरण नहीं हैं।

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में स्कोप कॉम्प्लेक्स में स्थित है, जहां सभी सिविल, विद्युत स्थापना और रखरखाव स्कोप (सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन) द्वारा किया जाता है।

आरईसी कारपोरेट कार्यालय अपने नए कार्यालय भवन, गुरुग्राम में स्थानांतरित हो गया है, जिसका ऊर्जा संरक्षण के लिए भवन में लगभग 30% एचवीएसी लोड आवश्यकता को कम करने के लिए ऊर्जा कुशल फलक और रेडिएंट कूलिंग स्लैब का उपयोग करके डिजाइन और निर्माण किया गया है। इसके अलावा, ऊर्जा के स्वच्छ और नवीकरणीय स्रोत का उपयोग करके आरईसी कार्यालय की लोड आवश्यकता को पूरा करने के लिए भवन के शीर्ष पर (सौर पेर्गोला संरचना द्वारा समर्थित) एक 979 केडब्ल्यूपी सौर संयंत्र स्थापित किया गया है।

अत्यधिक कुशल सौर पैनल (दक्षता = 21.2%) स्थापित किए गए हैं और सौर संयंत्र जुलाई 2021 से परिचालन में है। सौर संयंत्र कार्यशील है और ग्रिड से जुड़ा है और इसने 8,22,072 यूनिट विद्युत का उत्पादन किया है, जिसने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आरईसी कारपोरेट कार्यालय भवन की कुल लोड आवश्यकता (अर्थात 16,30,956 यूनिटों) के लगभग 50% की पूर्ति की है। यह उल्लेख करना उचित है कि कंपनी द्वारा ऊर्जा संरक्षण उपकरणों अर्थात एसआईटीसी (सौर पेर्गोला और सौर पैनलों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग) पर कुल पूंजी निवेश ₹12.22 करोड़ रुपए था।

21.2 विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी की कोई विदेशी मुद्रा आय नहीं थी। इसके अलावा, ब्याज, मूलधन चुकौती, वित्तीय प्रभार और अन्य खर्चों के कारण वर्ष के दौरान कुल 11,047.28 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा बहिर्वाह किया गया।

22. अनुषंगी कंपनियां

आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी, आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड ("आरईसीपीडीसीएल") (पूर्व में आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड) [सीआईएन U40101DL2007GOI165779], विद्युत क्षेत्र में परियोजना कार्यान्वयन और परामर्श सेवाओं के कारोबार में रत है जिसमें वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्यों का कार्यान्वयन, ग्रिड/ऑफ–ग्रिड सौर (पीवी) परियोजनाओं का कार्यान्वयन, स्मार्ट मीटर की स्थापना, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, तृतीय पक्ष निरीक्षण, पूर्व प्रेषण सामग्री निरीक्षण और सरकार द्वारा वित्त–पोषित योजनाओं जैसे डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस आदि की कुछ परियोजनाओं के तहत परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता/परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में कार्य करना शामिल है।

इसके अलावा, आरईसीपीडीसीएल विद्युत मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा समय–समय पर सौंपे गए स्वतंत्र अंतर–राज्यीय और अंतरा–राज्य पारेषण परियोजनाओं के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से ट्रांसमिशन सेवा प्रदाताओं के चयन के लिए "बोली प्रक्रिया समन्वयक" के रूप में भी कार्य करता है।

प्रत्येक स्वतंत्र अंतर–राज्य/अंतरा–राज्य पारेषण परियोजना के विकास को आरंभ करने के लिए, आरईसीपीडीसीएल अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में एक परियोजना–विशिष्ट विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) को अधिनिगमित करता है, जो आरईसी की सहायक कंपनी भी बन जाती है। टीबीसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार सफल बोलीदाता के चयन के बाद, ऐसी सहायक कंपनियों को आरईसीपीडीसीएल द्वारा सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों के साथ सफल बोलीदाता को अंतरित कर दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आरईसीपीडीसीएल ने 5 परियोजना विशिष्ट एसपीवी को सफल बोलीदाताओं को अंतरित किया, अर्थातः

क्रम सं.	एसपीवी का नाम	सफल बोलीदाता का नाम	एसपीवी के अंतरण की तिथि
1	फतेहगढ़ भादला ट्रांसको लिमिटेड [सीआईएनः U40108DL2020GOI364227]	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	4-जून-2021
2	सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड [सीआईएन:U40106DL2020GOI364672]	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	4-जून-2021
3	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–II लिमिटेड [सीआईएन:U40100DL2020GOI368275]	अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	1-नवंबर-2021
4	कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड [सीआईएन:U40106DL2020GOI364104]	कंसोंटियम ऑफ इंडिग्रिड 1 लिमिटेड और इंडिग्रिड 2 लिमिटेड	28-दिसंबर-2021
5	गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड [सीआईएन:U40100DL2020GOI364213]	रिन्यू ट्रांसमिशन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	17-मार्च-2022

31 मार्च, 2022 तक, आरईसीपीडीसीएल के पास विभिन्न अंतर–राज्यीय/अंतरा–राज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित परियोजना–विशिष्ट एसपीवी थे: –

(1) चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड
[सीआईएनः U40108DL2018GOI330905]

(2) दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड
[सीआईएनः U40300DL2018GOI331490]

(3) मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड
[सीआईएनः U40101DL2018GOI331526]

(4) कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड
[सीआईएनः U40300DL2018GOI331192]

(5) बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड
[सीआईएनः U40106DL2020GOI364498]

(6) राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
[सीआईएनः U40106DL2020GOI364436]
(30 मई, 2022 को जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड को अंतरित)

(7) एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–I लिमिटेड
[सीआईएनः U40108DL2020GOI367417]

(8) ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड
[सीआईएनः U40108DL2021GOI387793

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2021–22 की समाप्ति के पश्चात, कई नए एसपीवी को आरईसीपीडीसीएल और आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों के रूप में अधिनिगमित किया गया है, अर्थात्

(1) नीमच ट्रांसमिशन लिमिटेड
[सीआईएनः U40106DL2022GOI396525]

(2) खावड़ा II–ए ट्रांसमिशन लिमिटेड
[सीआईएनः U40200DL2022GOI396828]

(3) रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड
[सीआईएनः U40106DL2022GOI396994]

(4) खावड़ा II–बी ट्रांसमिशन लिमिटेड
[सीआईएनः U40106DL2022GOI397064]

(5) खावड़ा II–सी ट्रांसमिशन लिमिटेड
[सीआईएनः U40106DL2022GOI397095]

(6) खावड़ा II–डी ट्रांसमिशन लिमिटेड
[सीआईएनः U40108DL2022GOI397181]

(7) ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
[सीआईएनः U40106DL2022GOI397400]

(8) केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड
[सीआईएनः U40109DL2022GOI397632]

(9) केपीएस2 ट्रांसमिशन लिमिटेड
[सीआईएनः U40100DL2022GOI397888]

(10) केपीएस1 ट्रांसमिशन लिमिटेड
[सीआईएनः U40100DL2022GOI397888]

(11) सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड
[सीआईएनः U40100DL2022GOI397891]

(12) खावड़ा आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड
[सीआईएनः U40100DL2022GOI397942]

(13) गडग II–ए ट्रांसमिशन लिमिटेड
[सीआईएनः U40100DL2022GOI399702½

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आरईसीपीडीसीएल ने पिछले वित्तीय वर्ष में ₹184.86 करोड़ की आय की तुलना में ₹177.20 करोड़ की आय दर्ज की। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कर पश्चात लाभ ₹53.03 करोड़ था, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह ₹25.61 करोड़ था। इसके अलावा, 31 मार्च, 2022 को आरईसीपीडीसीएल की निवल संपत्ति ₹328.59 करोड़ थी, जबकि 31 मार्च, 2021 को इसकी निवल संपत्ति ₹297.99 करोड़ थी।

23. संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनी

आरईसी ने तीन अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नामतः पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर 10 दिसंबर 2009 को एक संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) [सीआईएनः U40200DL2009PLC196789] का गठन किया था। ईईएसएल ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में अग्रणी कार्य कर रहा है और देश भर में इस क्षेत्र में कई सरकारी और अन्य कार्यक्रमों को लागू कर रहा है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, संयुक्त उद्यम भागीदारों के बीच निष्पादित एक समझौते के अनुसार, ईईएसएल ने 1 सितंबर, 2021 से लागू लेखांकन मानक (इंड–एएस) के संदर्भ में आरईसी की संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई नहीं रहा है। आरईसी के वित्तीय विवरण भी तदनुसार स्थिति को दर्शाते हैं। तथापि, 31 मार्च, 2022 तक ईईएसएल में 15.68% की इक्विटी हिस्सेदारी के साथ, आरईसी संयुक्त उद्यम में भागीदार बना हुआ है।

24. समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 और उसके तहत बनाए गए नियमों और भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए समेकित इंड–एएस वित्तीय विवरण तैयार किया है, जिसमें इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अर्थात आरईसीपीडीसीएल (लेखापरीक्षित) और संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात, ईईएसएल (गैर–लेखापरीक्षित) के, उस तारीख तक जब यह 1 सितंबर, 2021 से कंपनी की संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई नहीं रह गई थी, लेखे शामिल है। इसे कंपनी के एकल वित्तीय विवरण के साथ आगामी 53वीं वार्षिक आम बैठक के समक्ष भी रखा जाएगा।

अधिनियम की धारा 129(3) के अनुपालन में, फॉर्म एओसी–1 में अनुषंगी कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं वाला एक विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है। विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) कंपनियों के वित्तीय विवरण, जो आरईसीपीडीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं, आरईसी के वित्तीय विवरणों के साथ समेकित नहीं हैं, क्योंकि ऐसी कंपनियों में निवेश/हित बिक्री के लिए धारित किया जाता है और इसलिए, ऐसे एसपीवी में हित कंपनियों का लेखांकन इंड–एएस 105 के अनुसार है।

कंपनी की अनुषंगी कंपनियों के समेकित इंड–एएस वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षित लेखाओं सहित लेखापरीक्षित इंड–एएस वित्तीय विवरण कंपनी की वेबसाइट अर्थात https://recindia.nic.in/recpdcl पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, इन दस्तावेजों को किसी भी सदस्य या डिबेंचर धारकों के लिए किसी ट्रस्टी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा। कंपनी के किसी सदस्य द्वारा विशिष्ट अनुरोध पर कंपनी ई–मेल के माध्यम से इसकी प्रति भी उपलब्ध कराएगी।

25. निदेशक, केएमपी और तत्संबंधी नीतिगत ढांचे से संबंधित

कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थ के भीतर एक सरकारी कंपनी होने के नाते और कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 91 के अनुसार, आरईसी के बोर्ड के सभी निदेशकों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार (एमओपी) के माध्यम से कार्य करते हुए नामनिर्दिष्ट/नियुक्त/पुनर्नियुक्त किया जाता है।

निदेशकों का नामांनिर्देशन/नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति और उनके पात्रता मानदंड, योग्यता, अनुभव और चयन प्रक्रिया आदि भी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), लोक उद्यम विभाग (डीपीई),

लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) आदि, के समय–समय पर यथा लागू निर्धारित मानदंडों के अधीन हैं, जिसका अनुपालन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

इसके अलावा, एक सीपीएसई होने के चलते, वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों सहित कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों, प्रमुख प्रबंधन कर्मियां और अन्य कर्मचारियों का पारिश्रमिक, वेतन, अनुलाभ, भत्ते आदि का निर्धारण समय–समय पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) और/या भारत सरकार द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। गैर–कार्यपालक निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) को बोर्ड या उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार है। सरकारी नामिति निदेशक भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार कंपनी से कोई बैठक शुल्क प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

कंपनी ने बोर्ड की विविधता और कौशल, वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों की नियुक्ति के लिए मानदंड और निदेशकों, केएमपी और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक के संबंध में एक नीति अपनाई है, जिस https://recindia.nic.in/uploads/files/Amended---Policy-on-Board-Diversity--Other-matters-dt-150722.pdf पर देखा जा सकता है।

इसके अलावा, एक एनबीएफसी होने के नाते, अन्य बातों के साथ–साथ, आरईसी में निदेशकों की नियुक्ति भी नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) द्वारा उचित विचार के अधीन है, जो कंपनी की नीति के अनुसार निदेशकों की उपयुक्तता और उचित मानदंड के अनुसार है, जिसे https://recindia.nic.in/uploads/files/Amended---Policy-on-Fit--Proper-Criteria.pdf पर देखा जा सकता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी), निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) और कंपनी सचिव को कंपनी के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) के रूप में नामित किया है।

एक सरकार कंपनी होने के चलते कंपनी के सीईओ की भूमिका सीएमडी द्वारा निभाई जा रही है और सीएफओ की भूमिका कंपनी के निदेशक (वित्त) द्वारा अदा की जाती है।

कंपनी के निदेशकों और केएमपी का विवरण नीचे दिया गया है :

25.1 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक

- विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परवर्ती आदेश के साथ पठित मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा 13 मई, 2022 को जारी एक संप्रेषण के अनुसार, श्री विवेक कुमार देवांगन, आईएएस (डीआईएन 01377212) को 17 मई, 2022 से भारत सरकार के अपर सचिव के दर्जे और वेतन पर कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, श्री संजय मल्होत्रा, आईएएस (डीआईएन 00992744), आरईसी के पूर्व सीएमडी, 11 फरवरी, 2022 से सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति के कारण निदेशक नहीं रहे थे। विद्युत मंत्रालय ने अपने 22 फरवरी, 2022 के आदेश के माध्यम से, सीएमडी–आरईसी का अतिरिक्त प्रभार तीन माह की अवधि या अगले आदेशों तक के लिए श्री सुधीर कुमार गंगाधर रहाटे, आईएएस (डीआईएन 05254178) को सौंपा था, जो उस समय विद्युत मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे।
- बाद में, श्री रहाटे की सचिव, न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के रूप में नियुक्ति होने के कारण वे 10 मई, 2022 से कंपनी के निदेशक नहीं रहे। तदनुसार, विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 10 मई, 2022 के आदेश के माध्यम से तीन माह की अवधि या अगले आदेश तक के लिए, श्री रविंदर सिंह ढिल्लों (डीआईएन 00278074), पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीएमडी को सीएमडी–आरईसी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा था। श्री ढिल्लों ने 10 से 16 मई, 2022 के दौरान अर्थात श्री विवेक कुमार देवांगन नियमित पदधारी की नियुक्ति तक सीएमडी–आरईसी की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाली।
- श्री संजीव कुमार गुप्ता (डीआईएन 03464342), निदेशक (तकनीकी), अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 1 नवंबर, 2021 से कंपनी के निदेशक नहीं रहे। विद्युत मंत्रालय ने अपने 21 अक्टूबर, 2021 के आदेश के माध्यम से निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार तत्कालीन सीएमडी श्री संजय मल्होत्रा को 1 अक्टूबर, 2021 से 31 जनवरी, 2022 की अवधि के लिए सौंपा। इसके अलावा, अपने दिनांक 15 जुलाई, 2022 के आदेश के माध्यम से विद्युत मंत्रालय ने निदेशक (तकनीकी) के अतिरिक्त प्रभार को श्री अजय चौधरी, निदेशक (वित्त) को 1 फरवरी, 2022 से नियमित पदधारी के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख तक के लिए सौंपने की मंजूरी दी थी।
- दिनांक 15 जुलाई 2022 के आदेश के अनुसार, विद्युत मंत्रालय ने श्री विजय कुमार सिंह (डीआईएन 02772733), जो पहले कंपनी में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यरत थे, को 180,000–340,000 (आईडीए) के वेतनमान में आरईसी के निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया है, उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक अर्थात 30 जून, 2025 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी। श्री वी. के. सिंह ने 15 जुलाई 2022 को निदेशक (तकनीकी) का पदभार ग्रहण किया।

25.2 नामित निदेशक

- विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 7 सितंबर, 2021 के कार्यालय आदेश के माध्यम से श्री विशाल कपूर (डीआईएन 08700132), संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय को आरईसी के बोर्ड में सरकारी नामिति निदेशक के रूप में नियुक्त किया था, जो आरईसी के बोर्ड में पहले सरकार द्वारा नामित निदेशक श्री तन्मय कुमार (डीआईएन 02574098) का स्थान लेंगे।

  पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के पूर्व नामित निदेशक, श्री प्रवीण कुमार सिंह (डीआईएन 03548218), नामांकन प्राधिकारी से सेवानिवृत्ति के कारण 1 फरवरी, 2022 से निदेशक नहीं रहे। इसके पश्चात, 2 फरवरी, 2022 को विद्युत मंत्रालय के पत्र के अनुसार, पीएफसी की निदेशक (वित्त) श्रीमती परमिंदर चोपड़ा (डीआईएन 08530587) को 4 फरवरी, 2022 से पीएफसी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

25.3 स्वतंत्र निदेशक

- विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 15 नवंबर, 2021 के आदेश (आदेशों) के माध्यम से डॉ. गंभीर सिंह (डीआईएन 02003319) और डॉ. मनोज मनोहर पांडे (डीआईएन 09388430) को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए आरईसी के बोर्ड में अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया था।
- इसके अलावा, 30 दिसंबर, 2021 को बोर्ड द्वारा परिचालन से पारित संकल्प के साथ पठित 27 दिसंबर, 2021 के विद्युत मंत्रालय के आदेश के अनुसार, डॉ. दुर्गेश नंदिनी (डीआईएन 09398540) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से

तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, बोर्ड में अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

25.4 आगामी एजीएम में सेवानिवृत्त हो रहे और नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति का अनुरोध करने वाले निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों और कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 91 (iv) के अनुसार, श्री अजय चौधरी, निदेशक (वित्त) कंपनी की आगामी 53वीं एजीएम में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के चलते, स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते है। इसके अलावा, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17(1ग) के अनुसार, श्री वी. के. सिंह की निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्ति को भी शेयरधारकों को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। बोर्ड उनकी नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की अनुशंसा करता है।

श्री अजय चौधरी और श्री वी. के. सिंह का संक्षिप्त जीवन–वृत्त और अन्य ब्यौरे इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में एजीएम की सूचना के साथ संलग्न है।

25.5 कंपनी सचिव

कंपनी के कंपनी सचिव श्री जे.एस. अमिताभ है।

26. निदेशक मंडल/स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन

सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, एक सूचीबद्ध कंपनी को अपने बोर्ड की रिपोर्ट में एक विवरण प्रकट करना होता है जिसमें बोर्ड, उसकी समितियों और पृथक निदेशकों के निष्पादन के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन की रीति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा यथा निर्धारित इसके स्वतंत्र निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन के मानदंड दिए गए हों।

तथापि, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 5 जून, 2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से, अन्य बातों के साथ, सरकारी कंपनियों को उपरोक्त आवश्यकता से छूट दी है, यदि निदेशकों का मूल्यांकन प्रशासनिक रूप से प्रभारी केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग द्वारा अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है तो। इसके अलावा, एमसीए ने 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना द्वारा यह भी निर्धारित किया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन की समीक्षा और मूल्यांकन तंत्र से संबंधित प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं।

तदनुसार, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, उपरोक्त अधिसूचनाओं के संदर्भ में आरईसी को अन्य बातों के साथ–साथ छूट दी गई है, क्योंकि कंपनी के बोर्ड के सभी सदस्यों के निष्पादन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय और/या लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी के गैर–कार्यपालक निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अपने आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था।

इसके अलावा, आपकी कंपनी डीपीई द्वारा जारी एमओयू दिशानिर्देशों में निर्धारित ढांचे के तहत अपनी धारक कंपनी, पीएफसी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी करती है। एमओयू विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से अंतिम रूप दिए गए कंपनी के लिए प्रमुख निष्पादन मापदंडों को निर्धारित करता है और कंपनी के निष्पादन का मूल्यांकन एमओयू मापदंडों के अनुसार किया जाता है।

27. निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के संदर्भ में यह पुष्टि की जाती है कि :

(i) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखे तैयार करते समय, लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया है और उनसे कोई महत्वपूर्ण विपथन नहीं किया गया है;

(ii) ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया और उन्हें सतत रूप में लागू किया गया (सिवाय वित्तीय विवरणों की लेखे की टिप्पणियों में यथा प्रकट नए प्रभावी भारतीय लेखांकन मानक के अंगीकरण के) तथा ऐसे निर्णय लिए गए व अनुमान तैयार किए गए हैं, जो कि उचित और विवेकसम्मत थे, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति का और उक्त तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ का सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत किया जा सके;

(iii) कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकार्डों का अनुरक्षण करने के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा गया;

(iv) चालू प्रतिष्ठानों के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए गए है;

(v) कंपनी द्वारा अनुसरण किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं एवं प्रभावी रूप से कार्य कर रहें है;

(vi) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था विकसित की है और यह व्यवस्था पर्याप्त है एवं प्रभावी रूप से कार्य कर रही है।

28. आरईसी का एमओयू रेटिंग

धारक कंपनी अर्थात पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के संदर्भ में कंपनी के निष्पादन को लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा 100 के पूर्ण स्कोर के साथ "उत्कृष्ट" का दर्जा दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए एमओयू मूल्यांकन में 100 में से 100 अंक हासिल करने वाला आरईसी पूरे देश में एकमात्र सीपीएसई है।

29. 'थिंक ग्रीन, गो ग्रीन' पहल

कंपनी अधिनियम, 2013 कंपनियों को अपने सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वार्षिक आम बैठक की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट आदि जैसे दस्तावेज भेजने की अनुमति देता है। एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में, कंपनी ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) की 'हरित पहल' के कार्यान्वयन का सक्रिय रूप से समर्थन किया है और ईमेल आईडी पंजीकृत होने वाले शेयरधारकों को नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी को प्रभावी किया हैं। ऐसे शेयरधारकों को लाभांश (अंतरिम/अंतिम) की सूचना भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जा रही है।

इसके अलावा, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार, कंपनी सभी सदस्यों को ई–मतदान सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वे वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में निर्धारित संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। कंपनी इस वर्ष एजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों से भी आयोजित करेगी। सदस्य एजीएम की सूचना में दिए गए अनुसार एजीएम में ई–मतदान और इलेक्ट्रॉनिक भागीदारी के लिए विस्तृत निर्देशों को देख सकते हैं।

जिन सदस्यों ने अब तक अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ई–मेल पते कंपनी के रजिस्ट्रार और

शेयर अंतरण एजेंट (आर एंड टीए) या अपने संबंधित डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) के साथ पंजीकृत करें और हरित पहल में भाग लें।

30. *स्वच्छता के प्रति वचनबद्धता*

स्वच्छता कार्य योजना के तहत आरईसी ने *स्वच्छता* पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए क्रियाकलाप शुरू किए हैं, जैसे सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ेदानों की स्थापना, पुराने अभिलेखों की छंटाई, दस्तावेजों का डिजिटलीकरण और स्वच्छता संबंधी प्रतियोगिताएं आयोजित करना।

31. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ('आरटीआई अधिनियम') का उद्देश्य नागरिकों को लोक प्राधिकारियों से सूचना प्राप्त करने और उनके कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना है। आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों के निस्तारण के लिए कंपनी में एक आरटीआई प्रकोष्ठ मौजूद है। कंपनी ने आरटीआई आवेदनों का उत्तर देने के लिए एक मुख्य लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और आरटीआई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आरटीआई प्रथम अपील पर निर्णय करने के लिए एक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (आरटीआई) को नामित किया है। आरटीआई प्रकोष्ठ में एक सहायक लोक सूचना अधिकारी भी शामिल है। आरटीआई प्रकोष्ठ के पूरे कामकाज और आरईसी में आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी पारदर्शिता अधिकारी द्वारा की जाती है।

आरईसी भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल (https://rtionline.gov.in) से भी जुड़ा है, जो भारत के नागरिकों को भुगतान गेटवे के साथ आरटीआई आवेदन/प्रथम अपील ऑनलाइन फाइल करने में सक्षम बनाता है। 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के दौरान आरटीआई प्रकोष्ठ द्वारा प्राप्त आवेदनों और अपीलों की संख्या से संबंधित सूचना नीचे दी गई है :

क्रम सं.	आरटीआई का विवरण	संख्या
1.	प्राप्त हुए आवेदन	362
2.	निपटाए गए आवेदन	358
3.	बाद में निपटाए गए आवेदन*	4
4.	अपीलीय अधिकारी, आरईसी द्वारा प्राप्त प्रथम अपीलें	22
5.	अपीलीय अधिकारी, आरईसी द्वारा निपटाई गई प्रथम अपीलें	18
6.	बाद में निपटाई गई अपीलें	4
7.	केन्द्रीय सूचना आयोग से प्राप्त दूसरी अपील	2
8.	केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा निपटान की गई दूसरी अपील	2

**लंबित आवेदनों और अपीलों का समय–सीमा के भीतर निपटान किया गया था।*

इसके अलावा, आरईसी ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुपालन में अपेक्षित जानकारी को अपनी वेबसाइट पर रखा है। इसके अलावा, उक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन में, जो किसी तीसरे पक्ष द्वारा स्व–प्रेरणा प्रकटीकरण की वार्षिक लेखापरीक्षा का प्रावधान करते है, आरटीआई प्रकटीकरण का तृतीय–पक्ष ऑडिट किया गया है और रिपोर्ट आरईसी की वेबसाइट पर रखी गई है।

32. सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) आदेश, 2012 के लिए लोक खरीद नीति के तहत रिपोर्टिंग।

खरीद प्रक्रिया में यथा परिभाषित, एमएसएमई के लिए दिशा–निर्देशों का कंपनी द्वारा पालन किया जा रहा है। एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी पहल के संवर्धन के प्रयास के रूप में और नवंबर 2018 से संशोधित निर्धारित सार्वजनिक खरीद मानदंडों को पूरा करने के लिए, आरईसी ने पहले ही 10 लाख रुपए तक के मूल्य वाली कुछ सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की 100% खरीद को एमएसएमई विक्रेताओं से अनिवार्य कर दिया है और एमएसई को 50% तक की मूल्य वरीयता की अनुमति दी है जिसमें से 20% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित है। इसके अलावा, आरईसी भारत सरकार (जीओआई) के *जीईएम* (गवर्मेंट ई–मार्केटप्लेस), *संबंध, समाधान* और *टीआरईडीएस* (ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम) पोर्टल्स पर पंजीकृत है और क्षेत्रीय कार्यालयों सहित आरईसी के सभी कार्यालय प्रभावी रूप से इसका उपयोग कर रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी द्वारा की गई कुल खरीद ₹57.38 करोड़ थी और आरईसी ने केवल सरकार द्वारा निर्धारित अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया बल्कि उससे अधिक हासिल की उपलब्धि प्राप्त की थी। जीईएम पोर्टल से खरीद ₹29.35 करोड़ (25% के लक्ष्य से अधिक प्राप्त) और एमएसएमई से खरीद 21 करोड़ रुपए (25% के लक्ष्य प्राप्त) थी, जिसमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से खरीद ₹0.67 करोड़ थी और महिला उद्यमियों से खरीद क्रमशः ₹0.40 करोड़ थी। उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों से खरीद का विभाजन, विक्रेताओं द्वारा दर्ज किए गए दावों पर निर्भर करता है, जिस पर आरईसी का कोई नियंत्रण नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष के दौरान भारत सरकार के समाधान पोर्टल पर किसी भी एमएसएमई विक्रेता द्वारा भुगतान में देरी या किसी अन्य शिकायत के संबंध में आरईसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की गई थी।

आरईसी ने अपने सभी अखिल भारतीय कार्यालयों के लिए अनिवार्य कर दिया है कि जीईएम पर उपलब्ध सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की 100% खरीद अनिवार्य रूप से केवल जीईएम के माध्यम से की जानी चाहिए; और अपने कर्मचारियों के लिए एक व्यापक जीईएम खरीद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें जीईएम के संकाय सदस्यों द्वारा विशेष रूप से आयोजित किए गए सत्र शामिल हैं। प्रतिभागियों द्वारा उक्त में भाग लिया गया और उनकी अत्यधिक सराहना की गई। आरईसी ने ऑनलाइन सत्र के माध्यम से अपना वार्षिक विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी) भी आयोजित किया है, जिसमें विभिन्न विक्रेताओं ने भाग लिया था।

आरईसी की सभी निविदाएं भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' के यथा लागू निदेशों के पूर्ण अनुपालन में हैं। इसके अलावा, भारत सरकार के निदेशों के अनुसार, इस तरह के अनुपालन की निगरानी निदेशक मंडल द्वारा त्रैमासिक रूप से की जा रही है; और ₹250 करोड़ या उससे अधिक मूल्य की निविदओं के लिए उप–समिति द्वारा मामला–दर–मामला आधार पर 'मेक इन इंडिया' पर भारत सरकार के निर्देशों का *अनुपालन सुनिश्चित* करने के लिए की जा रही है।

एमएसएमई और मेक इन इंडिया के लिए आरईसी की लोक खरीद नीति कंपनी की वेबसाइट और सीपीपीपी (केन्द्रीय लोक खरीद पोर्टल) पर विधिवत प्रकाशित सभी निविदाओं में शामिल है। सीवीसी द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) द्वारा तिमाही और वार्षिक आधार पर इसकी जांच और निगरानी भी की जा रही है। आईईएम ने पाया है कि सभी खरीद गतिविधियां व्यवस्था के अनुरूप हैं और इसके लिए आरईसी के प्रयासों और उपलब्धियों की सराहना की है।

33. महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच अधिनियम) के उपबंधों के अनुरूप, कंपनी में महिला कर्मचारियों के लैंगिक उत्पीड़न के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए एक 'आंतरिक शिकायत समिति' का

गठन किया गया है। समिति की अध्यक्षता कंपनी की एक वरिष्ठ महिला अधिकारी करती हैं और इसमें सदस्य के रूप में से एक किसी एनजीओ का प्रतिनिधि शामिल होता हैं। कंपनी के यौन उत्पीड़न–रोधी रुख को आरईसी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियमों में भी रेखांकित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी को यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं मिली। कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए पीओएसएच अधिनियम पर एक ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया।

34. वार्षिक विवरणी

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी की वार्षिक विवरणी कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ दाखिल की गई; और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए प्रारूप वार्षिक विवरणी, कंपनी की वेबसाइट https://www.recindia.nic.in/annual-returns पर उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एमसीए के साथ वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के बाद, उक्त को उसी वेबलिंक पर वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा।

35. संबंधित पक्षकारों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए फॉर्म एओसी–2 में प्रकट किए जाने हेतु अपेक्षित वाले संबंधित पक्ष संव्यवहार के विवरण 'शून्य' थे।

36. लेखापरीक्षक

36.1 सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स एस.के. मित्तल एवं कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्याः 001135एन) और मैसर्स ओ.पी. बाग्ला एवं कंपनी एलएलपी., चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्याः 000018एन/एन500091) को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए आपकी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अभी की जानी है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए सीएजी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक को निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करने हेतु आगामी एजीएम में सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

36.2 सचिवीय लेखापरीक्षक

मैसर्स हेमंत सिंह एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, दिल्ली (वृत्ति का प्रमाण–पत्र संख्या 6370), को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, उन्होंने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की है और यह इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

36.3 लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (रिपोर्टों) पर प्रबंधन की टिप्पणियां

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के एकल और समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है और बिना किसी अर्हता, शंका, प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण के अपनी रिपोर्ट दी है। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (रिपोर्टों) इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग हैं।

कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एक अनर्हक रिपोर्ट दी है। हालांकि, बोर्ड और उसकी समितियों की संरचना के संबंध में उनकी कुछ टिप्पणियां हैं।

सचिवीय लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर निम्नानुसार है:

सचिवीय लेखापरीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
1. कंपनी एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में, सेबी (एलओडीआर) के विनियम 17 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही थी, क्योंकि बोर्ड में चार स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता के प्रति बोर्ड में कुल तीन (15 नवंबर, 2021 को नियुक्त दो स्वतंत्र निदेशक और 30 दिसंबर, 2021 को नियुक्त एक स्वतंत्र महिला निदेशक) स्वतंत्र निदेशक थे। 2. लेखापरीक्षा समिति तथा नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना, अध्यक्षता और बैठकों की गणपूर्ति और हितधारक संबंध समिति की संरचना 1 अप्रैल, 2021 से 6 दिसंबर, 2021 तक सेबी (एलओडीआर) के विनियम 18, 19 और 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 178 के अनुपालन में नहीं थी। 3. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना 1 अप्रैल, 2021 से 6 दिसंबर, 2021 तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के अनुपालन में नहीं थी। 4. जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना 5 मई, 2021 से 6 दिसंबर, 2021 तक सेबी (एलओडीआर) के विनियम 21(2) के अनुपालन में नहीं थी। कंपनी निर्धारित समय के भीतर स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में सेबी (एलओडीआर) के विनियम 25(6) के अनुपालन नहीं कर रही थी।	आरईसी एक सरकारी कंपनी है और कंपनी के संघ के नियमावली के अनुच्छेद 91 के उपबंधों के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति के पास है। आरईसी की महिला स्वतंत्र निदेशक सहित पूर्व स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय ने 15 नवंबर, 2021 से कंपनी के बोर्ड में दो स्वतंत्र निदेशकों और 30 दिसंबर, 2021 से एक महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की थी। तदनुसार, 31 मार्च, 2022 के अनुसार, सेबी (एलओडीआर विनियम, 2015 में अनिवार्य रूप से एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा कंपनी के बोर्ड की संरचना में कमी आ रही थी।) कंपनी बार–बार विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से आरईसी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए अनुरोध कर रही है और हमारा अनुरोध मंत्रालय में विचाराधीन है। विद्युत मंत्रालय द्वारा अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के पश्चात, कंपनी सभी लागू वैधानिक उपबंधों का उचित अनुपालन करेगी। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान उपरोक्त स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के पश्चात, बोर्ड की विभिन्न वैधानिक समितियों का पुनर्गठन किया गया और बोर्ड की सभी समितियां कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 का पूर्ण अनुपालन कर रही हैं।

37. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) ने 22 जुलाई, 2022 के पत्र (पत्रों) के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर 'शून्य' टिप्पणी दी है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए सी एण्ड एजी की टिप्पणियों को इस वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ रखा गया है।

38. डिबेंचर न्यासी

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में, समय–समय पर जारी किए गए अपने बॉण्डों/डिबेंचर की विभिन्न श्रृंखलाओं के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टियों के विवरण वाली एक सूची इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

39. सांविधिक प्रकटीकरण

क) वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था।

ख) वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, 24 सितंबर, 2021 को आयोजित कंपनी की पिछली वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा पारित एक विशेष संकल्प के माध्यम से कंपनी के संगम अनुच्छेद के उद्देश्य खंड में संशोधन किया गया था। संशोधन अन्य बातों के साथ–साथ कंपनी को विद्युत क्षेत्र में उभरते कारोबारिक अवसरों का दोहन करने और कारोबार के नए क्षेत्रों में संभावनाओं का पता लगाने में सक्षम बनाने के लिए किया गया था।

ग) कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है और कंपनी के निदेशक मंडल ने आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन में इस संबंध में अपेक्षित प्रस्ताव पारित किया है।

घ) नियामकों या अदालतों या अधिकरणों द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था जिससे भविष्य में कंपनी की चालू प्रतिष्ठान की स्थिति और कंपनी के संचालन प्रभावित होते हों।

ङ) कंपनी विभिन्न लेनदेन की सटीक और समय पर वित्तीय रिपोर्टिंग, संचालन की दक्षता और वैधानिक कानूनों, विनियमों और कंपनी प्रक्रियाओं/नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त निगरानी प्रक्रियाओं सहित आंतरिक नियंत्रण की एक पर्याप्त प्रणाली बनाए रखती है। विवरण के लिए, कृपया इस रिपोर्ट के साथ संलग्न 'प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट' देखें।

च) वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड और इसकी समितियों की संरचना, संदर्भ की शर्तों और बैठकों की संख्या, सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति की स्थापना और निदेशकों के परिचयात्मक कार्यक्रमों के लिए वेब–लिंक, संबंधित पक्ष संव्यवहार की भौतिकता तथा संबंधित पक्ष लेनदेन संबंधी नीति, भौतिक सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को पारिश्रमिक, निदेशकों को बैठक शुल्क और आईईपीएफ आदि के बारे में विवरण समय–समय पर यथा संशोधित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और कारपोरेट शासन संबंधी डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के प्रावधानों के अनुपालन में तैयार 'कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट' में प्रदान किया गया है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

छ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(11) के अनुसार, दिए गए ऋण, दी गई गारंटी, प्रदान की गई प्रतिभूतियां या कंपनियों के वित्तपोषण के कारोबार में लगी कंपनी द्वारा किया गया निवेश या अपने कारोबार के सामान्य चालन में ढांचागत सुविधाएं प्रदान करना, कंपनी पर लागू नहीं हैं, अतः कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, निवेश का विवरण एकल वित्तीय विवरणों के लेखाओं की टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 10 में दर्शाया गया है।

ज) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के उपबंध और प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित उसके तहत बनाए गए नियम सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं हैं, इसलिए कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।

झ) कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले ऐसे कोई भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं, जो वित्तीय वर्ष के अंत अर्थात 31 मार्च, 2022 और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच हुई हैं।

ञ) कंपनी ने कंपनी के निदेशकों या किसी कर्मचारी को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।

ट) संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 24 जनवरी 2018 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार यथा लागू सतर्कता मामलों, लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तर और आरटीआई मामलों आदि से संबंधित विवरण, इस रिपोर्ट में विधिवत रूप से शामिल किए गए हैं।

ठ) केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत केंद्र सरकार द्वारा विहित कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) संशोधन नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के तहत कंपनी के उत्पादों/सेवाओं के लिए लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, कंपनी द्वारा लागत खातों और रिकॉर्ड को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।

ड) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों/सचिवालय लेखापरीक्षकों ने लेखापरीक्षा समिति को कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के किसी मामले की सूचना नहीं दी है। तथापि, कंपनी की धोखाधड़ी निवारण संबंधी नीति के संदर्भ में, लेखापरीक्षा समिति को प्रतिपूर्ति के लिए दर्ज किए गए चिकित्सा दावों में एक सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा की गई धोखाधड़ी के बारे में सूचित किया गया था। प्रारंभिक जांच के आधार पर उनके चिकित्सा लाभ पर रोक लगा दी गई है और उक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

ढ) कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन करती है।

ण) कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों को प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात विद्युत मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित/नियुक्त किया जाता हैं। तदनुसार, नियुक्ति प्राधिकारी नामित/नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की सत्यनिष्ठा, विशेषज्ञता और अनुभव पर विचार करता है। बोर्ड की राय में, वर्ष के दौरान नियुक्त स्वतंत्र निदेशक, सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति हैं और कंपनी में प्रभावी रूप से योगदान करने के लिए प्रासंगिक विशेषज्ञता, दक्षता और अनुभव रखते हैं।

त) वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं।

थ) आरईसी के विरूद्ध न तो कोई आईबीसी (दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता) लंबित है, और न ही हमें कंपनी के विरूद्ध किसी भी आईबीसी कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई सूचना प्राप्त हुई है।

40. कारपोरेट कार्यालय भवन

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी सेक्टर–29, गुरुग्राम में अपने अत्याधुनिक कार्यालय भवन में स्थानांतरित हो गई और इसने कब्जा प्रमाण–पत्र, अग्निशामन अनापत्ति प्रमाण–पत्र एनओसी, संचालन के लिए सहमति आदि जैसी आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर ली है। भवन का डिजाइन परियोजना के वास्तुकार मैसर्स सीडब्ल्यूए, न्यूयॉर्क द्वारा तैयार किया गया और जेएमसी प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड

माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री आर. के. सिंह का 25 जुलाई, 2022 को आरईसी के 53वें स्थापना दिवस के अवसर पर स्वागत करते हुए आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री विवेक कुमार देवांगन (दायीं ओर से प्रथम), इस अवसर पर माननीय विद्युत राज्य मंत्री, श्री कृष्ण पाल गुर्जर और विद्युत मंत्रालय के विद्युत सचिव, श्री आलोक कुमार (बायीं ओर से प्रथम) भी उपस्थित थे।

द्वारा ठेकेदार के रूप में निर्माण, परियोजना प्रबंधन सलाहकार टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) की देखरेख में किया गया है।

भवन के अनूठे डिजाइन में कई विशेष विशेषताएं हैं जैसे फेयर फिनिश सफेद कंक्रीट की सतह, उठा हुआ फर्श, स्लैब के लिए रेडिएंट कूलिंग, आईबीएमएस, स्वचालित सेंसर नियंत्रित प्रकाश व्यवस्था, मोटराइज्ड ब्लाइंड्स के साथ जैव–जलवायु ग्लास फैकेड, आदि। भवन में 979 केडब्ल्यूपी सोलर रूफटॉप पेर्गोला संरचना में पीवी संयंत्र भी है। जो आरईसी कार्यालय के लिए स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करता है। भवन में 400 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता वाला एक इन–हाउस सभागार भी है।

41. बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों के उपबंधों के संदर्भ में, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, कारपोरेट शासन संबंधी रिपोर्ट, व्यापार उत्तरदायित्व और धारणीयता रिपोर्ट समाविष्ट होने वाले पृथक खंड इस बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं। सेबी के दिनांक 6 फरवरी, 2017 के परिपत्र अनुसार, कंपनी ने स्वैच्छिक आधार पर वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एक एकीकृत रिपोर्ट तैयार की है।

कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, सीपीएसई के लिए कारपोरेट शासन संबंधी डीपीई दिशानिर्देश, 2010 और अन्य लागू वैधानिक उपबंधों के संदर्भ में विभिन्न वैधानिक रिपोर्ट, सूचना, प्रमाण पत्र आदि बोर्ड की रिपोर्ट में निम्नानुसार संलग्न हैं:

विवरण	अनुबंध
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	I
निगमित सुशासन पर रिपोर्ट	II
कारोबार दायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट	III
एकीकृत रिपोर्ट	IV
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	V
निगमित सुशासन पर लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र	VI
सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	VII
बॉण्डों की विभिन्न श्रृंखलाओं के लिए नियुक्त डिबेंचर न्यासियों का विवरण	VIII

42. आभार

निदेशक विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, नीति आयोग, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, लोक उद्यम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कंपनी को उनके मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते है। निदेशक, धारक कंपनी पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड का भी उनके निरंतर समर्थन और सद्भावना के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक कंपनी में विश्वास बनाए रखने के लिए सभी शेयरधारकों, निवेशकों, ऋणदाताओं और बॉण्ड धारकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। निदेशक, राज्य सरकारों, राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत उपयोगिताओं और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों सहित सभी ग्राहकों और ऋण लेने वालों को उनका विश्वास जताने और कंपनी के साथ अपने सहयोग को जारी रखने के लिए धन्यवाद देते हैं।

निदेशक, सांविधिक लेखापरीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों और कंपनी से जुड़े अन्य पेशेवरों के प्रबंधन को दिए गए उनके समर्थन के लिए आभारी हैं। अंत में किंतु कम महत्वपूर्ण नहीं, निदेशक कर्मचारियों और स्टाफ को उत्कृष्टता की तलाश में लगातार कार्य करते रहने के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन : 01377212)

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 20 अगस्त, 2022